

कार्यालय-जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय

(स्थापना शाखा)

पत्रांक-.....

प्रेषक

सुमन शर्मा
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

सेवा में

पंचायत सचिव-सह-सचिव
पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, ग्राम पंचायत राज-मेहदौली
प्रखंड-भगवानपुर

बेगूसराय दिनांक-.....

विषय- प्रमोद महतों, पंचायत शिक्षक, प्रा0वि0 हण्डालपुर, प्रखंड-भगवानपुर का नियोजन रद्द करने के संबंध में।

प्रसंग- प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भगवानपुर के पत्रांक-28 दिनांक-08.01.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रमोद महतों के टी0ई0टी0 प्रमाणपत्र के संबंध में निम्नांकित तथ्य अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित किये गये हैं।

“ उपलब्ध कराये गये सी0डी0 में प्रमाणपत्र का सीरियल नं0-033570 है जबकि अन्यथा द्वारा उपलब्ध कराये प्रमाणपत्र का सीरियल नं0-054142 है।”

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भगवानपुर के द्वारा समर्पित उक्त प्रतिवेदन के आलोक में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक-216 दिनांक-19.01.2021 के द्वारा प्रमोद महतों से स्पष्टीकरण पृच्छा की गयी।

प्रमोद महतों, पंचायत शिक्षक, प्रा0वि0 हण्डालपुर, प्रखंड-भगवानपुर के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण समीक्षोपरांत बिहार पंचायत एवं नगर(नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण) नियमावली 2020 की कंडिका-21 उपकंडिका(II) में निहित प्रावधान के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय से प्राप्त आदेशालोक में आपको आदेश दिया जाता है कि फर्जी टी0ई0टी0 प्रमाणपत्र के आरोप में प्रमोद महतों का नियोजन रद्द करते हुये अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायी जाय ताकि जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय को प्रतिवेदित किया जा सके।

विश्वासभाजन



(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

ज्ञापांक-..... 2246 बेगूसराय दिनांक-..... 10.5.21

प्रतिलिपि-प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भगवानपुर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुये निदेश दिया जाता है कि फर्जी प्रमाणपत्र के आरोप में स्थानीय थाने में प्रमोद महतों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुये थाना कांड संख्या सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित किया जाय साथ ही प्रमोद महतों के द्वारा अपने सेवा काल में वेतन मद में प्राप्त राशि की गणना कर वसूली करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि-पुलिस निरीक्षक(निगरानी अन्वेषण ब्यूरो) कैम्प स्थल-बी0पी0+उच्च विद्यालय बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।

प्रतिलिपि-जिला पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।


(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

कार्यालय-जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय

(स्थापना शाखा)

पत्रांक-.....

प्रेषक

सुमन शर्मा
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

सेवा में

प्रखंड विकास पदाधिकारी
-सह-सचिव
प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई भगवानपुर

बेगूसराय दिनांक-.....

विषय- पूजा कुमारी, प्रखंड शिक्षिका, मध्य विद्यालय संजात, प्रखंड-भगवानपुर का नियोजन रद्द करने के संबंध में।

प्रसंग- प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भगवानपुर के पत्रांक-28 दिनांक-08.01.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में पूजा कुमारी के टी0ई0टी0 प्रमाणपत्र के संबंध में निम्नांकित तथ्य अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित किये गये हैं-

" उपलब्ध कराये गये सी0डी0 के अनुसार अनुतीर्ण "

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भगवानपुर के द्वारा समर्पित उक्त प्रतिवेदन के आलोक में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक-230 दिनांक-19.01.2021 के द्वारा पूजा कुमारी से स्पष्टीकरण पृच्छा की गयी।

पूजा कुमारी, प्रखंड शिक्षिका, मध्य विद्यालय संजात, प्रखंड-भगवानपुर के द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किये जाने के फलस्वरूप बिहार पंचायत एवं नगर(नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण) नियमावली 2020 की कंडिका-21 उपकंडिका(II) में निहित प्रावधान के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय से प्राप्त आदेशालोक में आपको आदेश दिया जाता है कि फर्जी टी0ई0टी0 प्रमाणपत्र के आरोप में पूजा कुमारी का नियोजन रद्द करते हुये अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायी जाय ताकि जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय को प्रतिवेदित किया जा सके।

विश्वासभाजन



(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

ज्ञापांक-..... 2247 बेगूसराय दिनांक-..... 10.05.21

प्रतिलिपि-प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भगवानपुर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुये निदेश दिया जाता है कि फर्जी प्रमाणपत्र के आरोप में स्थानीय थाने में पूजा कुमारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुये थाना कांड संख्या सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित किया जाय साथ ही पूजा कुमारी के द्वारा अपने सेवा काल में वेतन मद में प्राप्त राशि की गणना कर वसूली करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि-पुलिस निरीक्षक(निगरानी अन्वेषण ब्यूरो) कैम्प स्थल-बी0पी0+2 उच्च विद्यालय बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि-जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।

प्रतिलिपि-जिला पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।



(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय



कार्यालय—जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय

(स्थापना शाखा)

पत्रांक—.....

प्रेषक

सुमन शर्मा
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

सेवा में

पंचायत सचिव—सह—सचिव
पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, ग्राम पंचायत राज—मेहदौली
प्रखंड—भगवानपुर

बेगूसराय दिनांक—.....

विषय— आशीष कुमार, पंचायत शिक्षक, नव० प्रा०वि० लालूनगर मेहदौली, प्रखंड—भगवानपुर का नियोजन रद्द करने के संबंध में।

प्रसंग— प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भगवानपुर के पत्रांक—28 दिनांक—08.01.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आशीष कुमार, के टी०ई०टी० प्रमाणपत्र के संबंध में निम्नांकित तथ्य अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित किये गये हैं।

“ उपलब्ध कराये गये सी०डी० में पेपर—01 में अनुतीर्ण।”

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भगवानपुर के द्वारा समर्पित उक्त प्रतिवेदन के आलोक में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक—216 दिनांक—19.01.2021 के द्वारा आशीष कुमार से स्पष्टीकरण पृच्छा की गयी।

आशीष कुमार, पंचायत शिक्षक, नव० प्रा०वि० लालूनगर मेहदौली, प्रखंड—भगवानपुर के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण समीक्षोपरांत बिहार पंचायत एवं नगर(नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण) नियमावली 2020 की कंडिका—21 उपकंडिका(II) में निहित प्रावधान के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय से प्राप्त आदेशालोक में आपको आदेश दिया जाता है कि फर्जी टी०ई०टी० प्रमाणपत्र के आरोप में आशीष कुमार का नियोजन रद्द करते हुये अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायी जाय ताकि जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय को प्रतिवेदित किया जा सके।

विश्वासभाजन



(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

ज्ञापांक—..... 2248..... बेगूसराय दिनांक—..... 10.05.21.....

प्रतिलिपि—प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भगवानपुर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुये निदेश दिया जाता है कि फर्जी प्रमाणपत्र के आरोप में स्थानीय थाने में आशीष कुमार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुये थाना कांड संख्या सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित किया जाय साथ ही आशीष कुमार, के द्वारा अपने सेवा काल में वेतन मद में प्राप्त राशि की गणना कर वसूली करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि—पुलिस निरीक्षक(निगरानी अन्वेषण ब्युरो) कैम्प स्थल—बी०पी०+उच्च विद्यालय बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि—जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।

प्रतिलिपि—जिला पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।



(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय



कार्यालय-जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय

(स्थापना शाखा)

पत्रांक-.....

प्रेषक

सुमन शर्मा
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

सेवा में

पंचायत सचिव-सह-सचिव
पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, ग्राम पंचायत राज-फुलवड़िया-01
प्रखंड-तेघड़ा

बेगूसराय दिनांक-.....

विषय- सोनू पासवान, पंचायत शिक्षक, प्रा0वि0 जरासंध टोला, फुलवड़िया-01, प्रखंड-तेघड़ा का नियोजन रद्द करने के संबंध में।

प्रसंग- प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तेघड़ा के पत्रांक-25 दिनांक-08.01.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में सोनू पासवान के टी0ई0टी0 प्रमाणपत्र के संबंध में निम्नांकित तथ्य अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित किये गये हैं।

“ नाम एवं पिता का नाम नहीं मिला ”

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तेघड़ा के द्वारा समर्पित उक्त प्रतिवेदन के आलोक में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक-247 दिनांक-19.01.2021 के द्वारा सोनू पासवान से स्पष्टीकरण पृच्छा की गयी।

सोनू पासवान, पंचायत शिक्षक, प्रा0वि0 जरासंध टोला, फुलवड़िया-01, प्रखंड-तेघड़ा के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण समीक्षोपरांत बिहार पंचायत एवं नगर(नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण) नियमावली 2020 की कंडिका-21 उपकंडिका(II) में निहित प्रावधान के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय से प्राप्त आदेशालोक में आपको आदेश दिया जाता है कि फर्जी टी0ई0टी0 प्रमाणपत्र के आरोप में सोनू पासवान, का नियोजन रद्द करते हुये अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायी जाय ताकि जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय को प्रतिवेदित किया जा सके।

विश्वासभाजन

के -

(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

ज्ञापांक-..... 2249 बेगूसराय दिनांक-..... 10.05.21

प्रतिलिपि-प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तेघड़ा को सूचनार्थ प्रेषित करते हुये निदेश दिया जाता है कि फर्जी प्रमाणपत्र के आरोप में स्थानीय थाने में सोनू पासवान, के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुये थाना कांड संख्या सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित किया जाय साथ ही सोनू पासवान, के द्वारा अपने सेवा काल में वेतन मद में प्राप्त राशि की गणना कर वसूली करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि-पुलिस निरीक्षक(निगरानी अन्वेषण ब्यूरो) कैम्प स्थल-बी0पी0+उच्च विद्यालय बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि-जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।

प्रतिलिपि-जिला पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।



(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय



कार्यालय-जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय

(स्थापना शाखा)

पत्रांक-.....

प्रेषक

सुमन शर्मा
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

सेवा में

पंचायत सचिव-सह-सचिव
पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, ग्राम पंचायत राज-भीठसारी
प्रखंड-भगवानपुर

बेगूसराय दिनांक-.....

विषय- कुमारी राशि कश्यप, पंचायत शिक्षिका, प्रा०वि० सुर्यपुरा, प्रखंड-भगवानपुर का नियोजन रद्द करने के संबंध में।

प्रसंग-प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भगवानपुर के पत्रांक-28 दिनांक-08.01.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में कुमारी राशि कश्यप के टी०ई०टी० प्रमाणपत्र के संबंध में निम्नांकित तथ्य अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित किये गये हैं-

" उपलब्ध कराये गये सी०डी० में प्रमाणपत्र के सीरियल नं०-011777 में संजय झा का नाम अंकित है।" प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भगवानपुर के द्वारा समर्पित उक्त प्रतिवेदन के आलोक में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक-226 दिनांक-19.01.2021 के द्वारा कुमारी राशि कश्यप से स्पष्टीकरण पृच्छा की गयी।

कुमारी राशि कश्यप, पंचायत शिक्षिका, प्रा०वि० सुर्यपुरा, प्रखंड-भगवानपुर के द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किये जाने के फलस्वरूप बिहार पंचायत एवं नगर(नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण) नियमावली 2020 की कंडिका-21 उपकंडिका(II) में निहित प्रावधान के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय से प्राप्त आदेशालोक में आपको आदेश दिया जाता है कि फर्जी टी०ई०टी० प्रमाणपत्र के आरोप में कुमारी राशि कश्यप का नियोजन रद्द करते हुये अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायी जाय ताकि जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय को प्रतिवेदित किया जा सके।

विश्वासभाजन

60-

(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

स्थापना, बेगूसराय

ज्ञापांक-..... 2250 बेगूसराय दिनांक-..... 10.05.21

प्रतिलिपि-प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भगवानपुर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुये निदेश दिया जाता है कि फर्जी प्रमाणपत्र के आरोप में स्थानीय थाने में कुमारी राशि कश्यप के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुये थाना कांड संख्या सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित किया जाय साथ ही कुमारी राशि कश्यप के द्वारा अपने सेवा काल में वेतन मद में प्राप्त राशि की गणना कर वसूली करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि-पुलिस निरीक्षक(निगरानी अन्वेषण ब्युरो) कैम्प स्थल-बी०पी०+2 उच्च विद्यालय बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।

प्रतिलिपि-जिला पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।

Suman
10/05/21

(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

स्थापना, बेगूसराय

Suman

कार्यालय-जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय

(स्थापना शाखा)

पत्रांक-.....

प्रेषक

सुमन शर्मा
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

सेवा में

पंचायत सचिव-सह-सचिव
पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, ग्राम पंचायत राज-किरतपुर
प्रखंड-भगवानपुर

बेगूसराय दिनांक-.....

विषय- गुड़िया कुमारी, पंचायत शिक्षिका, नव0प्रा0वि0 बड़ी अकहा, प्रखंड-भगवानपुर का नियोजन रद्द करने के संबंध में।

प्रसंग- प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भगवानपुर के पत्रांक-28 दिनांक-08.01.2021
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में गुड़िया के टी0ई0टी0 प्रमाणपत्र के संबंध में निम्नांकित तथ्य अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित किये गये हैं-

“ उपलब्ध कराये सीडी में अभ्यर्थी रौल नं0 से खोजने पर अनुतीर्ण है ”

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भगवानपुर के द्वारा समर्पित उक्त प्रतिवेदन के आलोक में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक-221 दिनांक-19.01.2021 के द्वारा गुड़िया कुमारी से स्पष्टीकरण पृच्छा की गयी।

गुड़िया कुमारी, पंचायत शिक्षिका, नव0प्रा0वि0 बड़ी अकहा, प्रखंड-भगवानपुर के द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किये जाने के फलस्वरूप बिहार पंचायत एवं नगर(नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण) नियमावली 2020 की कंडिका-21 उपकंडिका(II) में निहित प्रावधान के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय से प्राप्त आदेशालोक में आपको आदेश दिया जाता है कि फर्जी टी0ई0टी0 प्रमाणपत्र के आरोप में गुड़िया कुमारी का नियोजन रद्द करते हुये अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायी जाय ताकि जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय को प्रतिवेदित किया जा सके।

विश्वासभाजन

६० -

(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

ज्ञापांक-..... 2251 बेगूसराय दिनांक-..... 10.05.21

प्रतिलिपि-प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भगवानपुर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुये निदेश दिया जाता है कि फर्जी प्रमाणपत्र के आरोप में स्थानीय थाने में गुड़िया कुमारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुये थाना कांड संख्या सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित किया जाय साथ ही गुड़िया कुमारी के द्वारा अपने सेवा काल में वेतन मद में प्राप्त राशि की गणना कर वसूली करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि-पुलिस निरीक्षक(निगरानी अन्वेषण ब्यूरो) कैम्प स्थल-बी0पी0+2 उच्च विद्यालय बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।

प्रतिलिपि-जिला पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।

(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

04/05/21

कार्यालय-जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय

(स्थापना शाखा)

पत्रांक-.....

प्रेषक

सुमन शर्मा
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

सेवा में

पंचायत सचिव-सह-सचिव
पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, ग्राम पंचायत राज-बनवारीपुर
प्रखंड-भगवानपुर

बेगूसराय दिनांक-.....

विषय- किरण भारती, पंचायत शिक्षिका, नव0प्रा0वि0 बनवारीपुर, प्रखंड-भगवानपुर का नियोजन रद्द करने के संबंध में।

प्रसंग-प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भगवानपुर के पत्रांक-28 दिनांक-08.01.2021
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में किरण भारती के टी0ई0टी0 प्रमाणपत्र के संबंध में निम्नांकित तथ्य अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित किये गये हैं-

“ उपलब्ध कराये गये सी0डी0 में अभ्यर्थी का रोल नं0 से खोजने पर अनुतीर्ण है ”

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भगवानपुर के द्वारा समर्पित उक्त प्रतिवेदन के आलोक में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक-220 दिनांक-19.01.2021 के द्वारा किरण भारती से स्पष्टीकरण पृच्छा की गयी।

किरण भारती, पंचायत शिक्षिका, नव0प्रा0वि0 बनवारीपुर, प्रखंड-भगवानपुर के द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किये जाने के फलस्वरूप बिहार पंचायत एवं नगर(नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण) नियमावली 2020 की कंडिका-21 उपकंडिका(II) में निहित प्रावधान के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय से प्राप्त आदेशालोक में आपको आदेश दिया जाता है कि फर्जी टी0ई0टी0 प्रमाणपत्र के आरोप में किरण भारती का नियोजन रद्द करते हुये अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायी जाय ताकि जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय को प्रतिवेदित किया जा सके।

विश्वासभाजन

के -

(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

ज्ञापांक-..... 2252 बेगूसराय दिनांक-..... 10.05.21

प्रतिलिपि-प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भगवानपुर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुये निदेश दिया जाता है कि फर्जी प्रमाणपत्र के आरोप में स्थानीय थाने में किरण भारती के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुये थाना कांड संख्या सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित किया जाय साथ ही किरण भारती के द्वारा अपने सेवा काल में वेतन मद में प्राप्त राशि की गणना कर वसूली करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि-पुलिस निरीक्षक(निगरानी अन्वेषण ब्यूरो) कैम्प स्थल-बी0पी0+2 उच्च विद्यालय बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।

प्रतिलिपि-जिला पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।

सुमन शर्मा

(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

10/05/21

कार्यालय-जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय

(स्थापना शाखा)

पत्रांक-.....

प्रेषक

सुमन शर्मा

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

स्थापना, बेगूसराय

सेवा में

पंचायत सचिव-सह-सचिव

पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, ग्राम पंचायत राज-पिपरा दोदराज

प्रखंड-तेघड़ा

बेगूसराय दिनांक-.....

विषय- अर्चना कुमारी, पंचायत शिक्षिका, प्रा0वि0 पिपरा दोदराज, प्रखंड-तेघड़ा का नियोजन रद्द करने के संबंध में।

प्रसंग- प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तेघड़ा के पत्रांक-25 दिनांक-08.1.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में अर्चना कुमारी के टी0ई0टी0 प्रमाणपत्र के संबंध में निम्नांकित तथ्य अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित किये गये हैं-

“ नाम एवं पिता का नाम नहीं मिला ”

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तेघड़ा के द्वारा समर्पित उक्त प्रतिवेदन के आलोक में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक-253 दिनांक-19.01.2021 के द्वारा अर्चना कुमारी से स्पष्टीकरण पृच्छा की गयी।

अर्चना कुमारी, पंचायत शिक्षिका, प्रा0वि0 पिपरा दोदराज, प्रखंड-तेघड़ा के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण समीक्षोपरांत बिहार पंचायत एवं नगर(नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण) नियमावली 2020 की कंडिका-21 उपकंडिका(II) में निहित प्रावधान के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय से प्राप्त आदेशालोक में आपको आदेश दिया जाता है कि फर्जी टी0ई0टी0 प्रमाणपत्र के आरोप में अर्चना कुमारी का नियोजन रद्द करते हुये अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायी जाय ताकि जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय को प्रतिवेदित किया जा सके।

विश्वासभाजन

—

(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

स्थापना, बेगूसराय

ज्ञापांक-.....2253.....बेगूसराय दिनांक-.....10.05.21.....

प्रतिलिपि-प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तेघड़ा को सूचनार्थ प्रेषित करते हुये निदेश दिया जाता है कि फर्जी प्रमाणपत्र के आरोप में स्थानीय थाने में अर्चना कुमारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुये थाना कांड संख्या सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित किया जाय साथ ही अर्चना कुमारी के द्वारा अपने सेवा काल में वेतन मद में प्राप्त राशि की गणना कर वसूली करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि-पुलिस निरीक्षक(निगरानी अन्वेषण ब्यूरो) कैम्प स्थल-बी0पी0+2 उच्च विद्यालय बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।

प्रतिलिपि-जिला पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।

—

(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

स्थापना, बेगूसराय

कार्यालय—जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय

(स्थापना शाखा)

पत्रांक—.....

प्रेषक

सुमन शर्मा
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

सेवा में

पंचायत सचिव—सह—सचिव
पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, ग्राम पंचायत राज—पिपरा दोदराज
प्रखंड—तेघड़ा

बेगूसराय दिनांक—.....

विषय— राजेन्द्र प्रसाद सिंह, पंचायत शिक्षक, प्रा०वि० मल्लाहटोल फरदी, प्रखंड—तेघड़ा का नियोजन रद्द करने के संबंध में।

प्रसंग— प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तेघड़ा के पत्रांक—25 दिनांक—08.01.21

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में राजेन्द्र प्रसाद सिंह के टी०ई०टी० प्रमाणपत्र के संबंध में निम्नांकित तथ्य अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित किये गये हैं—

“ नाम एवं पिता का नाम नहीं मिला ”

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तेघड़ा के द्वारा समर्पित उक्त प्रतिवेदन के आलोक में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक—251 दिनांक—19.01.2021 के द्वारा राजेन्द्र प्रसाद सिंह से स्पष्टीकरण पृच्छा की गयी।

राजेन्द्र प्रसाद सिंह, पंचायत शिक्षक, प्रा०वि० मल्लाहटोल फरदी, प्रखंड—तेघड़ा के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण समीक्षोपरांत फलस्वरूप बिहार पंचायत एवं नगर (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण) नियमावली 2020 की कंडिका—21 उपकंडिका (II) में निहित प्रावधान के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय से प्राप्त आदेशालोक में आपको आदेश दिया जाता है कि फर्जी टी०ई०टी० प्रमाणपत्र के आरोप में राजेन्द्र प्रसाद सिंह का नियोजन रद्द करते हुये अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायी जाय ताकि जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय को प्रतिवेदित किया जा सके।

विश्वासभाजन

—

(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

ज्ञापनांक—..... 2254 बेगूसराय दिनांक—..... 10.05.21

प्रतिलिपि—प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तेघड़ा को सूचनार्थ प्रेषित करते हुये निदेश दिया जाता है कि फर्जी प्रमाणपत्र के आरोप में स्थानीय थाने में राजेन्द्र प्रसाद सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुये थाना कांड संख्या सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित किया जाय साथ ही राजेन्द्र प्रसाद सिंह के द्वारा अपने सेवा काल में वेतन मद में प्राप्त राशि की गणना कर वसूली करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि—पुलिस निरीक्षक (निगरानी अन्वेषण ब्यूरो) कैम्प स्थल—बी०पी०+उच्च विद्यालय बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि—जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।

प्रतिलिपि—जिला पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।

—

(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

—

कार्यालय-जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय

(स्थापना शाखा)

पत्रांक-.....2255.....

प्रेषक

सुमन शर्मा
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

सेवा में

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी
चेरियाबरियारपुर

बेगूसराय दिनांक-.....10.05.21.....

विषय- वांछित कागजात उपलब्ध कराने के संबंध में ।

प्रसंग- अवध बिहारी, आर0टी0 आई0 कार्यकर्ता, विशनपुर दियारा, बलिया के द्वारा समर्पित परिवाद पत्र ।
महाशय

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक परिवादपत्र में फर्जी प्रमाणपत्र पर नौकरी करने संबंधी वर्णित आरोपों के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय के द्वारा निम्नांकित कुल 07 शिक्षक/शिक्षिकाओं को अपना शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाणपत्र स्वअभिप्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया था। जिनकी विवरणी निम्नवत् है-

क्रम संख्या	शिक्षक/शिक्षिका का नाम	विद्यालय का नाम
01	इंद्रभूषण कुमार	मध्य विद्यालय मकसपुर
02	रामप्रकाश पासवान	उ0म0वि0 बढकुरबा
03	कुमारी कंचन	मध्य विद्यालय विक्रमपुर
04	चंद्रकिशोर ठाकुर	मध्य विद्यालय परिषद् मंझौल
05	अरविन्द ठाकुर	मध्य विद्यालय चेरियाबरियारपुर
06	रविन्द्र कुमार ठाकुर	मध्य विद्यालय मेहदाशाहपुर
07	सुधा कुमारी	उ0म0वि0 प्रखंड कॉलनी

अंकनीय है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय से प्राप्त आदेशालोक में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय ज्ञापांक-2099 दिनांक-08.04.2021 के द्वारा उपरोक्त तालिका क्रम संख्या-5,6 एवं 7 की सेवा समाप्ति की अनुशंसा प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-सचिव, प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई चेरियाबरियारपुर को की जा चुकी है जिसकी प्रतिलिपि आपको भी प्रेषित है।

उपरोक्त तालिका क्रम संख्या-03 द्वारा अपना शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया गया है जिसकी समीक्षा की जा रही है। शेष 03 शिक्षक (1) इन्द्रभूषण कुमार, मध्य विद्यालय मकसपुर (2) रामप्रकाश पासवान, उ0म0वि0 बढकुरबा एवं (3) चंद्रकिशोर ठाकुर, मध्य विद्यालय परिषद् मंझौल के द्वारा अपना शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है।

वर्णित परिपेक्ष्य में आपको निदेश दिया जाता है कि (1) इन्द्रभूषण कुमार, मध्य विद्यालय मकसपुर (2) रामप्रकाश पासवान, उ0म0वि0 बढकुरबा एवं (3) चंद्रकिशोर ठाकुर, मध्य विद्यालय परिषद् मंझौल के शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही अगले आदेश तक सभी शिक्षक/शिक्षिकाओं का वेतन स्थगित रखा जाय।

विश्वासभाजन

(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

5/5/21

कार्यालय-जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय

(स्थापना शाखा)

पत्रांक-.....

प्रेषक

सुमन शर्मा
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

सेवा में

प्रखंड विकास पदाधिकारी
-सह-सचिव
प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई बछवाड़ा

बेगूसराय दिनांक-.....

विषय- चंदन पासवान, प्रखंड शिक्षक, उ०म०वि० रतुल्लहपुर दियारा, प्रखंड-बछवाड़ा का नियोजन रद्द करने के संबंध में।

प्रसंग- प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बछवाड़ा के पत्रांक- 362 दिनांक-16.09.2020
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में चंदन पासवान के टी०ई०टी० प्रमाणपत्र के संबंध में निम्नांकित तथ्य अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित किये गये हैं।

" Father Name and BETET Serial No. Not Match "

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बछवाड़ा के द्वारा समर्पित उक्त प्रतिवेदन के आलोक में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक-2699 दिनांक-11.11.20 के द्वारा चंदन पासवान से स्पष्टीकरण पृच्छा की गयी।

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बछवाड़ा के पत्रांक-461 दिनांक-28.11.20 के द्वारा प्रमारी प्रधानाध्यायक, उ०म०वि० रतुल्लहपुर दियारा के प्रतिवेदन के आधार पर सूचित किया गया कि चंदन पासवान दिनांक-20.05.19 से ही चिकित्सावकाश पर गये हैं। इसके बाद अभी तक विद्यालय नहीं आए हैं और ना ही उनके द्वारा किसी प्रकार की सूचना दूरभाष के माध्यम से दी गयी है।

उक्त के आलोक में बिहार पंचायत एवं नगर(नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण) नियमावली 2020 की कंडिका-21 उपकंडिका(II) में निहित प्रावधान के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय से प्राप्त आदेशालोक में आपको आदेश दिया जाता है कि फर्जी टी०ई०टी० प्रमाणपत्र के आरोप में चंदन पासवान का नियोजन रद्द करते हुये अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायी जाय ताकि जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय को प्रतिवेदित किया जा सके।

विश्वासभाजन



(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय


ज्ञापांक-..... 2256..... बेगूसराय दिनांक-..... 10.05.21

प्रतिलिपि-प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बछवाड़ा को सूचनार्थ प्रेषित करते हुये निदेश दिया जाता है कि फर्जी प्रमाणपत्र के आरोप में स्थानीय थाने में चंदन पासवान के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुये थाना कांड संख्या सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित किया जाय साथ ही चंदन पासवान के द्वारा अपने सेवा काल में वेतन मद में प्राप्त राशि की गणना कर वसूली करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि-पुलिस निरीक्षक(निगरानी अन्वेषण ब्यूरो) कैम्प स्थल-बी०पी०+2 उच्च विद्यालय बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि-जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।

प्रतिलिपि-जिला पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।



(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय



कार्यालय—जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय

(स्थापना शाखा)

पत्रांक—.....

प्रेषक

सुमन शर्मा
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

सेवा में

पंचायत सचिव—सह—सचिव
पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, ग्राम पंचायत राज—खाँजहाँपुर
प्रखंड—चेरियाबरियारपुर

बेगूसराय दिनांक—.....

विषय— आशीष कुमार, पंचायत शिक्षक, प्रा०वि० आजादनगर, प्रखंड—चेरियाबरियारपुर का नियोजन रद्द करने के संबंध में।

प्रसंग— प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चेरियाबरियारपुर के पत्रांक—391 दिनांक—10.09.20

महाशय,


उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आशीष कुमार के टी०ई०टी० प्रमाणपत्र के संबंध में निम्नांकित तथ्य अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित किये गये हैं।

“ विभागीय सी०डी० के अनुसार दोनो पेपर में नोट क्वालीफाईड है जबकि रिजल्ट कार्ड में प्रथम पत्र में 91 नंबर अंकित है। ”

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चेरियाबरियारपुर के द्वारा समर्पित उक्त प्रतिवेदन के आलोक में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक—2686 दिनांक—11.11.20 के द्वारा आशीष कुमार से स्पष्टीकरण पृच्छा की गयी।

आशीष कुमार, पंचायत शिक्षक, प्रा०वि० आजादनगर, प्रखंड—चेरियाबरियारपुर के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण समीक्षोपरांत बिहार पंचायत एवं नगर(नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण) नियमावली 2020 की कंडिका—21 उपकंडिका(II) में निहित प्रावधान के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय से प्राप्त आदेशालोक में आपको आदेश दिया जाता है कि फर्जी टी०ई०टी० प्रमाणपत्र के आरोप में आशीष कुमार का नियोजन रद्द करते हुये अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायी जाय ताकि जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय को प्रतिवेदित किया जा सके।

विश्वासभाजन



(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

स्थापना, बेगूसराय


ज्ञापांक—.....2257.....बेगूसराय दिनांक—.....10.05.21.....

प्रतिलिपि—प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चेरियाबरियारपुर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुये निदेश दिया जाता है कि फर्जी प्रमाणपत्र के आरोप में स्थानीय थाने में आशीष कुमार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुये थाना कांड संख्या सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित किया जाय साथ ही आशीष कुमार के द्वारा अपने सेवा काल में वेतन मद में प्राप्त राशि की गणना कर वसूली करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि—पुलिस निरीक्षक(निगरानी अन्वेषण ब्युरो) कैम्प स्थल—बी०पी०+2 उच्च विद्यालय बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि—जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।


प्रतिलिपि—जिला पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।



(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

स्थापना, बेगूसराय



कार्यालय—जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय

(स्थापना शाखा)

पत्रांक—.....

प्रेषक

सुमन शर्मा
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

सेवा में

पंचायत सचिव—सह—सचिव
पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, ग्राम पंचायत राज—बसही
प्रखंड—चेरियाबरियारपुर

बेगूसराय दिनांक—.....

विषय— अरुण कुमार, पंचायत शिक्षक, प्रा०वि० पासवानटोल छर्पापट्टी, प्रखंड—चेरियाबरियारपुर का नियोजन रद्द करने के संबंध में।

प्रसंग— प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चेरियाबरियारपुर के पत्रांक—391 दिनांक—10.09.20

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में अरुण कुमार के टी०ई०टी० प्रमाणपत्र के संबंध में निम्नांकित तथ्य अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित किये गये हैं।

“ विभागीय सी०डी० में 47 नंबर अंकित है जबकि रिजल्ट कार्ड में 100 नंबर अंकित है। ”

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चेरियाबरियारपुर के द्वारा समर्पित उक्त प्रतिवेदन के आलोक में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक—2689 दिनांक—11.11.20 के द्वारा अरुण कुमार से स्पष्टीकरण पृच्छा की गयी।

अरुण कुमार, पंचायत शिक्षक, प्रा०वि० आजादनगर, प्रखंड—चेरियाबरियारपुर के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण समीक्षोपरांत बिहार पंचायत एवं नगर(नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण) नियमावली 2020 की कंडिका—21 उपकंडिका(II) में निहित प्रावधान के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय से प्राप्त आदेशालोक में आपको आदेश दिया जाता है कि फर्जी टी०ई०टी० प्रमाणपत्र के आरोप में अरुण कुमार का नियोजन रद्द करते हुये अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायी जाय ताकि जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय को प्रतिवेदित किया जा सके।

विश्वासभाजन

—

(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

स्थापना, बेगूसराय

ज्ञापांक—.....2258.....बेगूसराय दिनांक—.....10.05.21.....

प्रतिलिपि—प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चेरियाबरियारपुर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुये निदेश दिया जाता है कि फर्जी प्रमाणपत्र के आरोप में स्थानीय थाने में अरुण कुमार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुये थाना कांड संख्या सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित किया जाय साथ ही अरुण कुमार के द्वारा अपने सेवा काल में वेतन मद में प्राप्त राशि की गणना कर वसूली करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि—पुलिस निरीक्षक(निगरानी अन्वेषण ब्यूरो) कैम्प स्थल—बी०पी०+2 उच्च विद्यालय बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि—जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।

प्रतिलिपि—जिला पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।

—

(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

स्थापना, बेगूसराय

—

कार्यालय-जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय

(स्थापना शाखा)

पत्रांक-.....

प्रेषक

सुमन शर्मा
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

सेवा में

पंचायत सचिव-सह-सचिव
पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, ग्राम पंचायत राज-बसही
प्रखंड-चेरियाबरियारपुर

बेगूसराय दिनांक-.....

विषय- रंजन कुमार पासवान, पंचायत शिक्षक, प्रा०वि० मुशहरी बसही प्रखंड-चेरियाबरियारपुर का नियोजन रद्द करने के संबंध में।

प्रसंग- प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चेरियाबरियारपुर के पत्रांक-391 दिनांक-10.09.20

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में रंजन कुमार पासवान के टी०ई०टी० प्रमाणपत्र के संबंध में निम्नांकित तथ्य अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित किये गये हैं।

“ विभागीय सी०डी० में 46 नंबर अंकित है जबकि रिजल्ट कार्ड में 93 नंबर अंकित है। ”

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चेरियाबरियारपुर के द्वारा समर्पित उक्त प्रतिवेदन के आलोक में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक-2688 दिनांक-11.11.20 के द्वारा रंजन कुमार पासवान से स्पष्टीकरण पृच्छा की गयी।

रंजन कुमार पासवान, पंचायत शिक्षक, प्रा०वि० मुशहरी बसही प्रखंड-चेरियाबरियारपुर के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण समीक्षोपरांत बिहार पंचायत एवं नगर(नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण) नियमावली 2020 की कंडिका-21 उपकंडिका(II) में निहित प्रावधान के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय से प्राप्त आदेशालोक में आपको आदेश दिया जाता है कि फर्जी टी०ई०टी० प्रमाणपत्र के आरोप में रंजन कुमार पासवान का नियोजन रद्द करते हुये अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायी जाय ताकि जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय को प्रतिवेदित किया जा सके।

विश्वासभाजन

६० -

(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

स्थापना, बेगूसराय

ज्ञापांक-..... 2259 बेगूसराय दिनांक-..... 10.05.21.....

प्रतिलिपि-प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चेरियाबरियारपुर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुये निदेश दिया जाता है कि फर्जी प्रमाणपत्र के आरोप में स्थानीय थाने में रंजन कुमार पासवान के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुये थाना कांड संख्या सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित किया जाय साथ ही रंजन कुमार पासवान के द्वारा अपने सेवा काल में वेतन मद में प्राप्त राशि की गणना कर वसूली करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि-पुलिस निरीक्षक(निगरानी अन्वेषण ब्यूरो) कैम्प स्थल-बी०पी०+उच्च विद्यालय बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।

प्रतिलिपि-जिला पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।



(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

स्थापना, बेगूसराय



कार्यालय—जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय

(स्थापना शाखा)

पत्रांक—.....

प्रेषक

सुमन शर्मा
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

सेवा में

प्रखंड विकास पदाधिकारी
—सह—सचिव
प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई बेगूसराय

बेगूसराय दिनांक—.....

विषय— सुमन कुमारी, प्रखंड शिक्षिका, उ०म०वि० वासुदेवपुर, प्रखंड—बेगूसराय का नियोजन रद्द करने के संबंध में।

प्रसंग— प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय के पत्रांक—407 दिनांक—17.09.20
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में सुमन कुमारी के टी०ई०टी० प्रमाणपत्र के संबंध में निम्नांकित तथ्य अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित किये गये हैं।

“ अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, मार्क्स में भिन्नता ”

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय के द्वारा समर्पित उक्त प्रतिवेदन के आलोक में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक—2698 दिनांक—11.11.20 के द्वारा सुमन कुमारी से स्पष्टीकरण पृच्छा की गयी।

सुमन कुमारी, प्रखंड शिक्षिका, उ०म०वि० वासुदेवपुर, प्रखंड—बेगूसराय के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण समीक्षोपरांत बिहार पंचायत एवं नगर (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण) नियमावली 2020 की कंडिका—21 उपकंडिका(II) में निहित प्रावधान के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय से प्राप्त आदेशालोक में आपको आदेश दिया जाता है कि फर्जी टी०ई०टी० प्रमाणपत्र के आरोप में सुमन कुमारी का नियोजन रद्द करते हुये अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायी जाय ताकि जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय को प्रतिवेदित किया जा सके।

विश्वासभाजन

Co—

(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

ज्ञापांक—..... 2260 बेगूसराय दिनांक—..... 10.05.21

प्रतिलिपि—प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित करते हुये निदेश दिया जाता है कि फर्जी प्रमाणपत्र के आरोप में स्थानीय थाने में सुमन कुमारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुये थाना कांड संख्या सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित किया जाय साथ ही सुमन कुमारी के द्वारा अपने सेवा काल में वेतन मद में प्राप्त राशि की गणना कर वसूली करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि—पुलिस निरीक्षक (निगरानी अन्वेषण ब्यूरो) कैम्प स्थल—बी०पी०+2 उच्च विद्यालय बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि—जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।

प्रतिलिपि—जिला पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।



(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

10/5/21

कार्यालय—जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय

(स्थापना शाखा)

पत्रांक—.....

प्रेषक

सुमन शर्मा

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

स्थापना, बेगूसराय

सेवा में

प्रखंड विकास पदाधिकारी

—सह—सचिव

प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई बेगूसराय

बेगूसराय दिनांक—.....

विषय— आरती कुमारी, प्रखंड शिक्षिका, उ०म०वि० कंकौल, प्रखंड—बेगूसराय का नियोजन रद्द करने के संबंध में।

प्रसंग— प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय के पत्रांक—407 दिनांक—17.09.20

महाशय,


उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरती कुमारी के टी०ई०टी० प्रमाणपत्र के संबंध में निम्नांकित तथ्य अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित किये गये हैं।

“ अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, मार्क्स में भिन्नता ”

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय के द्वारा समर्पित उक्त प्रतिवेदन के आलोक में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक—2697 दिनांक—11.11.20 के द्वारा आरती कुमारी से स्पष्टीकरण पृच्छा की गयी।

आरती कुमारी, प्रखंड शिक्षिका, उ०म०वि० कंकौल, प्रखंड—बेगूसराय के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण समीक्षोपरांत बिहार पंचायत एवं नगर (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण) नियमावली 2020 की कंडिका—21 उपकंडिका(II) में निहित प्रावधान के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय से प्राप्त आदेशालोक में आपको आदेश दिया जाता है कि फर्जी टी०ई०टी० प्रमाणपत्र के आरोप में आरती कुमारी का नियोजन रद्द करते हुये अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायी जाय ताकि जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय को प्रतिवेदित किया जा सके।

विश्वासभाजन



(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

स्थापना, बेगूसराय

ज्ञापांक—..... 2261 बेगूसराय दिनांक—..... 10.05.21

प्रतिलिपि—प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित करते हुये निदेश दिया जाता है कि फर्जी प्रमाणपत्र के आरोप में स्थानीय थाने में आरती कुमारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुये थाना कांड संख्या सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित किया जाय साथ ही आरती कुमारी के द्वारा अपने सेवा काल में वेतन मद में प्राप्त राशि की गणना कर वसूली करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि—पुलिस निरीक्षक (निगरानी अन्वेषण ब्यूरो) कैम्प स्थल—बी०पी०+2 उच्च विद्यालय बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि—जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।


प्रतिलिपि—जिला पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।



(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

स्थापना, बेगूसराय



कार्यालय—जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय

(स्थापना शाखा)

पत्रांक—.....

प्रेषक

सुमन शर्मा
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

सेवा में

पंचायत सचिव—सह—सचिव
पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, ग्राम पंचायत राज—श्रीपुर
प्रखंड—चेरियाबरियारपुर

बेगूसराय दिनांक—.....

विषय— गीता कुमारी, पंचायत शिक्षिका, प्रा०वि० परमानंदपुर, प्रखंड—चेरियाबरियारपुर का नियोजन रद्द करने के संबंध में।

प्रसंग— प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चेरियाबरियारपुर के पत्रांक—391 दिनांक—10.09.20
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में गीता कुमारी के टी०ई०टी० प्रमाणपत्र के संबंध में निम्नांकित तथ्य अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित किये गये हैं।

“ विभागीय सी०डी० में 43 नंबर अंकित है तथा क्वालीफाईड नहीं है। लंबे अर्से से विद्यालय से अनुपस्थित चल रही है। ”

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चेरियाबरियारपुर के द्वारा समर्पित उक्त प्रतिवेदन के आलोक में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक—2687 दिनांक—11.11.20 एवं कार्यालय पत्रांक—28 दिनांक—05.01.21 के द्वारा गीता कुमारी से स्पष्टीकरण पृच्छा की गयी।

गीता कुमारी, पंचायत शिक्षिका, प्रा०वि० परमानंदपुर, प्रखंड—चेरियाबरियारपुर के द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किये जाने के फलस्वरूप बिहार पंचायत एवं नगर (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण) नियमावली 2020 की कंडिका—21 उपकंडिका (II) में निहित प्रावधान के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय से प्राप्त आदेशालोक में आपको आदेश दिया जाता है कि फर्जी टी०ई०टी० प्रमाणपत्र के आरोप में गीता कुमारी का नियोजन रद्द करते हुये अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायी जाय ताकि जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय को प्रतिवेदित किया जा सके।

विश्वासभाजन



(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

ज्ञापांक—..... 2262 बेगूसराय दिनांक—..... 10.05.21

प्रतिलिपि—प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चेरियाबरियारपुर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुये निदेश दिया जाता है कि फर्जी प्रमाणपत्र के आरोप में स्थानीय थाने में गीता कुमारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुये थाना कांड संख्या सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित किया जाय साथ ही गीता कुमारी के द्वारा अपने सेवा काल में वेतन मद में प्राप्त राशि की गणना कर वसूली करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि—पुलिस निरीक्षक (निगरानी अन्वेषण ब्यूरो) कैम्प स्थल—बी०पी०+2 उच्च विद्यालय बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि—जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।

प्रतिलिपि—जिला पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।



(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय



कार्यालय—जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय

(स्थापना शाखा)

पत्रांक—.....

प्रेषक

सुमन शर्मा
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

सेवा में

पंचायत सचिव—सह—सचिव
पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, ग्राम पंचायत राज—फुलवड़िया 01
प्रखंड—तेघड़ा

बेगूसराय दिनांक—.....

विषय— प्रियंका भारती, पंचायत शिक्षिका, प्रा0वि0 जरासंधटोला फुलवड़िया—01, प्रखंड—तेघड़ा का नियोजन रद्द करने के संबंध में।

प्रसंग— प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तेघड़ा के पत्रांक— 25 दिनांक—08.01.2021

महाशय,
उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रियंका भारती के टी0ई0टी0 प्रमाणपत्र के संबंध में निम्नांकित तथ्य अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित किये गये हैं—

“ नाम एवं पिता का नाम नहीं मिला ”

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तेघड़ा के द्वारा समर्पित उक्त प्रतिवेदन के आलोक में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक—244 दिनांक—19.01.2021 के द्वारा प्रियंका भारती से स्पष्टीकरण पृच्छा की गयी।

प्रियंका भारती, पंचायत शिक्षिका, प्रा0वि0 जरासंधटोला फुलवड़िया—01, प्रखंड—तेघड़ा के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण समीक्षोपरांत बिहार पंचायत एवं नगर(नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण) नियमावली 2020 की कंडिका—21 उपकंडिका(II) में निहित प्रावधान के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय से प्राप्त आदेशालोक में आपको आदेश दिया जाता है कि फर्जी टी0ई0टी0 प्रमाणपत्र के आरोप में प्रियंका भारती का नियोजन रद्द करते हुये अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायी जाय ताकि जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय को प्रतिवेदित किया जा सके।

विश्वासभाजन



(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

ज्ञापांक—..... 2263 बेगूसराय दिनांक—..... 10.05.21.....

प्रतिलिपि—प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तेघड़ा को सूचनार्थ प्रेषित करते हुये निदेश दिया जाता है कि फर्जी प्रमाणपत्र के आरोप में स्थानीय थाने में प्रियंका भारती के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुये थाना कांड संख्या सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित किया जाय साथ ही प्रियंका भारती के द्वारा अपने सेवा काल में वेतन मद में प्राप्त राशि की गणना कर वसूली करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि—पुलिस निरीक्षक(निगरानी अन्वेषण ब्यूरो) कैम्प स्थल—बी0पी0+2 उच्च विद्यालय बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि—जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।

प्रतिलिपि—जिला पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।



(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय



कार्यालय—जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय

(स्थापना शाखा)

पत्रांक—.....

प्रेषक

सुमन शर्मा
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

सेवा में

पंचायत सचिव—सह—सचिव
पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, ग्राम पंचायत राज—फुलवड़िया 01
प्रखंड—तेघड़ा

बेगूसराय दिनांक—.....

विषय— प्रभात कुमार, पंचायत शिक्षक, प्रा0वि0 हनुमानस्थान कैरीवाड़ी, प्रखंड—तेघड़ा का नियोजन रद्द करने के संबंध में।

प्रसंग— प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तेघड़ा के पत्रांक—25 दिनांक—08.01.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रभात कुमार के टी0ई0टी0 प्रमाणपत्र के संबंध में निम्नांकित तथ्य अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित किये गये हैं—

“ नाम एवं पिता का नाम नहीं मिला ”

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तेघड़ा के द्वारा समर्पित उक्त प्रतिवेदन के आलोक में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक—243 दिनांक—19.01.2021 के द्वारा प्रभात कुमार से स्पष्टीकरण पृच्छा की गयी।

प्रभात कुमार, पंचायत शिक्षक, प्रा0वि0 हनुमानस्थान कैरीवाड़ी, प्रखंड—तेघड़ा के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण समीक्षोपरांत बिहार पंचायत एवं नगर(नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण) नियमावली 2020 की कंडिका—21 उपकंडिका(II) में निहित प्रावधान के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय से प्राप्त आदेशालोक में आपको आदेश दिया जाता है कि फर्जी टी0ई0टी0 प्रमाणपत्र के आरोप में प्रभात कुमार का नियोजन रद्द करते हुये अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायी जाय ताकि जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय को प्रतिवेदित किया जा सके।

विश्वासभाजन

8 -

(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

ज्ञापांक—..... 2264 बेगूसराय दिनांक—..... 10.05.21

प्रतिलिपि—प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तेघड़ा को सूचनार्थ प्रेषित करते हुये निदेश दिया जाता है कि फर्जी प्रमाणपत्र के आरोप में स्थानीय थाने में प्रभात कुमार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुये थाना कांड संख्या सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित किया जाय साथ ही प्रभात कुमार के द्वारा अपने सेवा काल में वेतन मद में प्राप्त राशि की गणना कर वसूली करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि—पुलिस निरीक्षक(निगरानी अन्वेषण ब्यूरो) कैम्प स्थल—बी0पी0+2उच्च विद्यालय बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि—जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।

प्रतिलिपि—जिला पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।



(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

कार्यालय—जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय

(स्थापना शाखा)

पत्रांक—.....

प्रेषक

सुमन शर्मा
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

सेवा में

पंचायत सचिव—सह—सचिव
पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, ग्राम पंचायत राज—फुलवड़िया 01
प्रखंड—तेघड़ा

बेगूसराय दिनांक—.....

विषय— अर्पण कुमार, पंचायत शिक्षक, प्रा0वि0 हनुमानस्थान कैरीवाड़ी, प्रखंड—तेघड़ा का नियोजन रद्द करने के संबंध में।

प्रसंग— प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तेघड़ा के पत्रांक—25 दिनांक—08.01.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में अर्पण कुमार के टी0ई0टी0 प्रमाणपत्र के संबंध में निम्नांकित तथ्य अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित किये गये हैं—

“ नाम एवं पिता का नाम नहीं मिला ”

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तेघड़ा के द्वारा समर्पित उक्त प्रतिवेदन के आलोक में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक—242 दिनांक—19.01.2021 के द्वारा अर्पण कुमार से स्पष्टीकरण पृच्छा की गयी।

अर्पण कुमार, पंचायत शिक्षक, प्रा0वि0 हनुमानस्थान कैरीवाड़ी, प्रखंड—तेघड़ा के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण समीक्षोपरांत बिहार पंचायत एवं नगर(नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण) नियमावली 2020 की कंडिका—21 उपकंडिका(II) में निहित प्रावधान के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय से प्राप्त आदेशालोक में आपको आदेश दिया जाता है कि फर्जी टी0ई0टी0 प्रमाणपत्र के आरोप में अर्पण कुमार का नियोजन रद्द करते हुये अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायी जाय ताकि जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय को प्रतिवेदित किया जा सके।

विश्वासमाजन



(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

ज्ञापक—..... 2265 बेगूसराय दिनांक—..... 10.05.21.....

प्रतिलिपि—प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तेघड़ा को सूचनार्थ प्रेषित करते हुये निदेश दिया जाता है कि फर्जी प्रमाणपत्र के आरोप में स्थानीय थाने में अर्पण कुमार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुये थाना कांड संख्या सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित किया जाय साथ ही अर्पण कुमार के द्वारा अपने सेवा काल में वेतन मद में प्राप्त राशि की गणना कर वसूली करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि—पुलिस निरीक्षक(निगरानी अन्वेषण ब्यूरो) कैम्प स्थल—बी0पी0+2 उच्च विद्यालय बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि—जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।

प्रतिलिपि—जिला पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।



(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय



कार्यालय—जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय

(स्थापना शाखा)

पत्रांक—.....

प्रेषक

सुमन शर्मा
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

सेवा में

पंचायत सचिव—सह—सचिव
पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, ग्राम पंचायत राज—फुलवड़िया 01
प्रखंड—तेघड़ा

बेगूसराय दिनांक—.....

विषय— रामप्रवेश कुमार सहनी, पंचायत शिक्षक, प्रा०वि० हनुमानस्थान कैरीवाड़ी, प्रखंड—तेघड़ा का नियोजन रद्द करने के संबंध में।

प्रसंग— प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तेघड़ा के पत्रांक—25 दिनांक—08.01.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में रामप्रवेश कुमार सहनी के टी०ई०टी० प्रमाणपत्र के संबंध में निम्नांकित तथ्य अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित किये गये हैं—

“ नाम एवं पिता का नाम नहीं मिला ”

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तेघड़ा के द्वारा समर्पित उक्त प्रतिवेदन के आलोक में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक—239 दिनांक—19.01.2021 के द्वारा रामप्रवेश कुमार से स्पष्टीकरण पृच्छा की गयी।

रामप्रवेश कुमार सहनी, पंचायत शिक्षक, प्रा०वि० हनुमानस्थान कैरीवाड़ी, प्रखंड—तेघड़ा के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण समीक्षोपरांत बिहार पंचायत एवं नगर(नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण) नियमावली 2020 की कंडिका—21 उपकंडिका(II) में निहित प्रावधान के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय से प्राप्त आदेशालोक में आपको आदेश दिया जाता है कि फर्जी टी०ई०टी० प्रमाणपत्र के आरोप में रामप्रवेश कुमार सहनी का नियोजन रद्द करते हुये अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायी जाय ताकि जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय को प्रतिवेदित किया जा सके।

विश्वासभाजन



(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

ज्ञापांक—..... 2266 बेगूसराय दिनांक—..... 10.05.21

प्रतिलिपि—प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तेघड़ा को सूचनार्थ प्रेषित करते हुये निदेश दिया जाता है कि फर्जी प्रमाणपत्र के आरोप में स्थानीय थाने में रामप्रवेश कुमार सहनी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुये थाना कांड संख्या सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित किया जाय साथ ही रामप्रवेश कुमार सहनी के द्वारा अपने सेवा काल में वेतन मद में प्राप्त राशि की गणना कर वसूली करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि—पुलिस निरीक्षक(निगरानी अन्वेषण ब्यूरो) कैम्प स्थल—बी०पी०+उच्च विद्यालय बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि—जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।

प्रतिलिपि—जिला पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।



(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय



कार्यालय-जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय

(स्थापना शाखा)

पत्रांक-.....

प्रेषक

सुमन शर्मा
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

सेवा में

पंचायत सचिव-सह-सचिव
पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, ग्राम पंचायत राज-मल्हीपुर दक्षिण
प्रखंड-बरौनी

बेगूसराय दिनांक-.....

विषय- दिनेश कुमार, पंचायत शिक्षक, प्रा0वि0 बिन्दटोली नवीन, प्रखंड-बरौनी का नियोजन रद्द करने के संबंध में।

प्रसंग- प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बरौनी के पत्रांक-10 दिनांक-08.01.21

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में दिनेश कुमार के टी0ई0टी0 प्रमाणपत्र के संबंध में निम्नांकित तथ्य अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित किये गये हैं-

“ उपलब्ध कराये गये सी0डी0 में प्रमाणपत्र का सीरियल नं0-006556 में नाम में अंतर पाया गया ” प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बरौनी के द्वारा समर्पित उक्त प्रतिवेदन के आलोक में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक-835 दिनांक-26.02.2021 के द्वारा दिनेश कुमार से स्पष्टीकरण पृच्छा की गयी।

दिनेश कुमार, पंचायत शिक्षक, प्रा0वि0 बिन्दटोली नवीन, प्रखंड-बरौनी के द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किये जाने के फलस्वरूप बिहार पंचायत एवं नगर(नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण) नियमावली 2020 की कंडिका-21 उपकंडिका(II) में निहित प्रावधान के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय से प्राप्त आदेशालोक में आपको आदेश दिया जाता है कि फर्जी टी0ई0टी0 प्रमाणपत्र के आरोप में दिनेश कुमार का नियोजन रद्द करते हुये अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायी जाय ताकि जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय को प्रतिवेदित किया जा सके।

विश्वासभाजन



(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय


ज्ञापांक-..... 2267 बेगूसराय दिनांक-..... 10.05.21

प्रतिलिपि-प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बरौनी को सूचनार्थ प्रेषित करते हुये निदेश दिया जाता है कि फर्जी प्रमाणपत्र के आरोप में स्थानीय थाने में दिनेश कुमार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुये थाना कांड संख्या सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित किया जाय साथ ही दिनेश कुमार के द्वारा अपने सेवा काल में वेतन मद में प्राप्त राशि की गणना कर वसूली करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि-पुलिस निरीक्षक(निगरानी अन्वेषण ब्यूरो) कैम्प स्थल-बी0पी0+2 उच्च विद्यालय बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि-जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।

प्रतिलिपि-जिला पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।



(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय



कार्यालय-जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय

(स्थापना शाखा)

पत्रांक-.....2268.....

प्रेषक

सुमन शर्मा
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

सेवा में

क्षेत्रीय प्रबंधक
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय
भारतीय स्टेट बैंक, बेगूसराय

बेगूसराय दिनांक-.....10.05.21.....

विषय- मटिहानी प्रखंड अंतर्गत नियोजित शिक्षकों के बकाया वेतन भुगतान हेतु एडवाईस का प्रेषण।

प्रसंग- प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मटिहानी के द्वारा समर्पित समर्पित एडवाईस।

महाशय

उपर्युक्त विषयक संबंध में अंकित करना है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मटिहानी के द्वारा प्रखंडाधीन नियोजित शिक्षकों के बकाया वेतन भुगतान हेतु अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराये गये एडवाईस को पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अनुरोध है कि संलग्न एडवाईस अनुसार भुगतान करने का कष्ट किया जाय।

अनुलग्नक-

01 एडवाईस-03 पृष्ठ में।

02 समेकित सूची-01 पृष्ठ में।

02 चेक संख्या-.....683318.....दिनांक-.....05.05.21.....

(कुल भुगतेय राशि-143317.00 एक लाख तेतालीस हजार तीन सौ सतरह रुपये मात्र)


विश्वासभाजन



(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

स्थापना, बेगूसराय



कार्यालय—जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय

(स्थापना शाखा)

पत्रांक—.....2263.....

प्रेषक

सुमन शर्मा
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

सेवा में

क्षेत्रीय प्रबंधक
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय
भारतीय स्टेट बैंक, बेगूसराय

बेगूसराय दिनांक—.....10.05.21.....

विषय— जिला अंतर्गत राज्यनिधि से आच्छादित प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों के बकाया वेतन भुगतान हेतु एडवाईस का प्रेषण।

महाशय

उपर्युक्त विषयक संबंध में अंकित करना है कि जिला अंतर्गत राज्यनिधि से आच्छादित प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों के बकाया वेतन भुगतान हेतु एडवाईस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अनुरोध है कि पत्र के साथ संलग्न एडवाईस एवं समेकित सूची अनुसार राज्यनिधि से आच्छादित शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु संधारित खाता संख्या—32306019292 से शिक्षकों का बकाया वेतन भुगतान करने का कष्ट किया जाय।

अनुलग्नक—

01 एडवाईस— कुल 05 पृष्ठ में।

01 समेकित सूची—01 पृष्ठ में।

(कुल भुगतेय राशि—413681.00 चार लाख तेरह हजार छह सौ सौ इक्यासी रुपये मात्र)

विश्वासभाजत्र

(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

3/5/21

कार्यालय—जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय

(स्थापना शाखा)

पत्रांक—.....2270.....

प्रेषक

सुमन शर्मा
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

सेवा में

क्षेत्रीय प्रबंधक
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय
भारतीय स्टेट बैंक, बेगूसराय

बेगूसराय दिनांक—.....10.05.21.....

विषय— साहेबपुरकमाल प्रखंड अंतर्गत समग्र शिक्षा से आच्छादित प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों के माह फरवरी 21 के वेतन भुगतान हेतु एडवाईस का प्रेषण।

प्रसंग— प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी साहेबपुर कमाल के पत्रांक—197 दिनांक—30.04.2021

महाशय

उपर्युक्त विषयक संबंध में अंकित करना है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी साहेबपुर कमाल के द्वारा प्रखंडाधीन समग्र शिक्षा से आच्छादित शिक्षकों के माह फरवरी 21 के वेतन भुगतान हेतु अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराये गये एडवाईस को पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अनुरोध है कि संलग्न एडवाईस अनुसार शिक्षकों का भुगतान करने का कष्ट किया जाय।

अनुलग्नक—

01 एडवाईस— कुल.....13.....पृष्ठ में।

02 चेक संख्या—.....071389.....दिनांक—.....10.05.21.....

(राशि मो0—16360970.00 एक करोड़ तिरसठ लाख साठ हजार नौ सौ सत्तर रुपये मात्र)

विश्वासभाजन

(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

10/5/21

कार्यालय—जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय

(स्थापना शाखा)

पत्रांक—.....

प्रेषक

सुमन शर्मा
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

सेवा में

प्रखंड विकास पदाधिकारी
मटिहानी

बेगूसराय दिनांक—.....

विषय— शंभु कुमार, पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापक, उ०म०वि० जगदीशपुर मथार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन के संबंध में।

प्रसंग— प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मटिहानी के पत्रांक—139 दिनांक—27.06.20
महाशय

उपर्युक्त विषयक संबंध में अंकित करना है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मटिहानी के द्वारा प्रासंगिक पत्र के माध्यम से शंभु कुमार के निलंबन अवधि वेतन भुगतान हेतु एडवाईस अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। अंकनीय है कि आपके ज्ञापांक—961 दिनांक— 14.09.2019 के द्वारा शंभु कुमार, पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापक, उ०म०वि० जगदीशपुर मथार को निलंबित किया गया था। निलंबन के उपरांत श्री शंभु कुमार के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही एवं फलाफल से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को अवगत करायी जाय ताकि नियमानुसार अग्रेतर किया जा सके।

विश्वासभाजन

—

(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

ज्ञापांक— 2271 बेगूसराय दिनांक— 10.9.21

प्रतिलिपि—प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मटिहानी को सूचनार्थ प्रेषित करते हुये निदेश दिया जाता है कि पत्र का तामिला अपने स्तर से कराना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न एडवाईस में अंकित रॉकी कुमारी, प्राथमिक विद्यालय परिषद् मटिहानी एवं निम्मी कुमारी, मध्य विद्यालय महाजी के बकाया वेतन भुगतान हेतु के संबंध में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय ज्ञापांक—168 दिनांक—15.01.2019 के द्वारा दिये गये निदेश का अनुपालन करते हुये वांछित कागजात अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

—

(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

—

कार्यालय—जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय

(स्थापना शाखा)

पत्रांक—.....2272.....

प्रेषक

सुमन शर्मा
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

सेवा में


प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी
मटिहानी

बेगूसराय दिनांक—.....10.05.21.....

विषय— श्री शंभु कुमार, प्रखंड शिक्षक, उ०म०वि० जगदीशपुर मथार के निलंबन भत्ता हेतु एडवाईस उपलब्ध कराने के संबंध में।


महाशय

उपर्युक्त विषयक संबंध में अंकित करना है कि श्री शंभु कुमार के द्वारा निलंबन अवधि के बकाया भत्ता के भुगतान हेतु किये गये अनुरोध के आलोक में आपको निदेश दिया जाता है कि श्री कुमार के निलंबन अवधि के भत्ता के भुगतान हेतु जांचोपरांत एडवाईस अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। अंकनीय है कि आपके पत्रांक—92 दिनांक—20.03.20 के आलोक में कार्यालय चूकवश श्री कुमार को राशि मो०—13736.00 (तेरह हजार सात सौ छत्तीस रुपये मात्र) का भुगतान किया गया है। आपके स्तर से एडवाईस संरचना में उक्त तथ्य को दृष्टिगत रखा जाय।

विश्वासभाजन


(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय



कार्यालय-जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय

(स्थापना शाखा)

पत्रांक-.....2273.....

प्रेषक

सुमन शर्मा
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

सेवा में

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी
मटिहानी

बेगूसराय दिनांक-.....10.05.21.....


विषय- वांछित कागजात उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग- आपके पत्रांक-262 दिनांक-25.09.2019 एवं पत्रांक-95 दिनांक-20.04.20


महाशय

उपर्युक्त विषयक संबंध में अंकित करना है कि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय ज्ञापांक-168 दिनांक-15.01.2019 के द्वारा दिये गये निदेश का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण प्रासंगिक पत्र के द्वारा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को समर्पित एडवाईस भुगतान नहीं हो सका है। साथ ही मो० रफत उस्मानी के संबंध में सवैतनिक प्रशिक्षण अवधि का वेतन एवं ओ०डी०एल० प्रशिक्षण के पश्चात प्रशिक्षित वेतन का अंतर राशि अंकित किया गया है जो विरोधाभाष उत्पन्न करता है।

आपको निदेश दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय ज्ञापांक-168 दिनांक-15.01.2019 के द्वारा दिये गये निदेश का अनुपालन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय साथ ही मो० उस्मानी के संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट किया जाय।

विश्वासभाजन


(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय


कार्यालय—जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय

(स्थापना शाखा)

पत्रांक—.....

प्रेषक

सुमन शर्मा
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

सेवा में

प्रखंड विकास पदाधिकारी
—सह—सचिव
प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई बरौनी

बेगूसराय दिनांक—.....

विषय— पूजा कुमारी, प्रखंड शिक्षिका, उ०म०वि० विष्णुपुर चाँद, प्रखंड—बरौनी का नियोजन रद्द करने के संबंध में।

प्रसंग— प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बरौनी के पत्रांक—10 दिनांक—08.01.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में पूजा कुमारी के टी०ई०टी० प्रमाणपत्र के संबंध में निम्नांकित तथ्य अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित किये गये हैं—

“ पेपर—01 में अनुत्तीर्ण एवं पेपर—02 में उत्तीर्ण ”

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बरौनी के द्वारा समर्पित उक्त प्रतिवेदन के आलोक में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक—836 दिनांक—25.02.21 के द्वारा पूजा कुमारी से स्पष्टीकरण पृच्छा की गयी।

पूजा कुमारी, प्रखंड शिक्षिका, उ०म०वि० विष्णुपुर चाँद, प्रखंड—बरौनी के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण समीक्षोपरांत बिहार पंचायत एवं नगर(नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण) नियमावली 2020 की कांडिका—21 उपकांडिका(II) में निहित प्रावधान के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय से प्राप्त आदेशालोक में आपको आदेश दिया जाता है कि फर्जी टी०ई०टी० प्रमाणपत्र के आरोप में पूजा कुमारी का नियोजन रद्द करते हुये अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायी जाय ताकि जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय को प्रतिवेदित किया जा सके।

विश्वासभाजन



(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

ज्ञापांक—..... 2274 बेगूसराय दिनांक—..... 10.05.21

प्रतिलिपि—प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बरौनी को सूचनार्थ प्रेषित करते हुये निदेश दिया जाता है कि फर्जी प्रमाणपत्र के आरोप में स्थानीय थाने में पूजा कुमारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुये थाना कांड संख्या सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित किया जाय साथ ही पूजा कुमारी के द्वारा अपने सेवा काल में वेतन मद में प्राप्त राशि की गणना कर वसूली करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि—पुलिस निरीक्षक(निगरानी अन्वेषण ब्युरो) कैम्प स्थल—बी०पी०+2 उच्च विद्यालय बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि—जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।

प्रतिलिपि—जिला पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।



(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय



कार्यालय—जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय

(स्थापना शाखा)

पत्रांक—.....

प्रेषक

सुमन शर्मा
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

सेवा में

पंचायत सचिव—सह—सचिव
पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, ग्राम पंचायत राज—सहुरी
प्रखंड—बरौनी

बेगूसराय दिनांक—.....

विषय— पूनम कुमारी, पंचायत शिक्षिका, नव0प्रा0वि0 मोबारकपुर हसनपुर, प्रखंड—बरौनी का नियोजन रद्द करने के संबंध में।

प्रसंग— प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बरौनी के पत्रांक—10 दिनांक—08.01.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में पूनम कुमारी के टी0ई0टी0 प्रमाणपत्र के संबंध में निम्नांकित तथ्य अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित किये गये हैं—

“ अनुतीर्ण है। ”

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बरौनी के द्वारा समर्पित उक्त प्रतिवेदन के आलोक में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक—832 दिनांक—26.02.21 के द्वारा पूनम कुमारी से स्पष्टीकरण पृच्छा की गयी।

पूनम कुमारी, पंचायत शिक्षिका, नव0प्रा0वि0 मोबारकपुर हसनपुर, प्रखंड—बरौनी के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण समीक्षोपरांत बिहार पंचायत एवं नगर(नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण) नियमावली 2020 की कंडिका—21 उपकंडिका(II) में निहित प्रावधान के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय से प्राप्त आदेशालोक में आपको आदेश दिया जाता है कि फर्जी टी0ई0टी0 प्रमाणपत्र के आरोप में पूनम कुमारी का नियोजन रद्द करते हुये अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायी जाय ताकि जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय को प्रतिवेदित किया जा सके।

विश्वासभाजन

Co -

(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

ज्ञापांक—..... 2275 बेगूसराय दिनांक—..... 10.05.21.....

प्रतिलिपि—प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बरौनी को सूचनार्थ प्रेषित करते हुये निदेश दिया जाता है कि फर्जी प्रमाणपत्र के आरोप में स्थानीय थाने में पूनम कुमारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुये थाना कांड संख्या सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित किया जाय साथ ही पूनम कुमारी के द्वारा अपने सेवा काल में वेतन मद में प्राप्त राशि की गणना कर वसूली करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि—पुलिस निरीक्षक(निगरानी अन्वेषण ब्यूरो) कैम्प स्थल—बी0पी0+2 उच्च विद्यालय बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि—जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।

प्रतिलिपि—जिला पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।



(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय



कार्यालय—जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय

(स्थापना शाखा)

पत्रांक—.....

प्रेषक

सुमन शर्मा
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

सेवा में

पंचायत सचिव—सह—सचिव
पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, ग्राम पंचायत राज—सहुरी
प्रखंड—बरौनी

बेगूसराय दिनांक—.....

विषय— स्वीटी कुमारी, पंचायत शिक्षिका, नव०प्रा०वि० मोबारकपुर हसनपुर, प्रखंड—बरौनी का नियोजन रद्द करने के संबंध में।

प्रसंग— प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बरौनी के पत्रांक—10 दिनांक—08.01.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में स्वीटी कुमारी के टी०ई०टी० प्रमाणपत्र के संबंध में निम्नांकित तथ्य अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित किये गये हैं—

“ नाम में अंतर है ”

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बरौनी के द्वारा समर्पित उक्त प्रतिवेदन के आलोक में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक—837 दिनांक—25.02.21 के द्वारा स्वीटी कुमारी से स्पष्टीकरण पृच्छा की गयी।

स्वीटी कुमारी, पंचायत शिक्षिका, नव०प्रा०वि० मोबारकपुर हसनपुर, प्रखंड—बरौनी के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण समीक्षोपरांत बिहार पंचायत एवं नगर(नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण) नियमावली 2020 की कंडिका—21 उपकंडिका(II) में निहित प्रावधान के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय से प्राप्त आदेशालोक में आपको आदेश दिया जाता है कि फर्जी टी०ई०टी० प्रमाणपत्र के आरोप में स्वीटी कुमारी का नियोजन रद्द करते हुये अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायी जाय ताकि जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय को प्रतिवेदित किया जा सके।

विश्वासभाजन



(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

ज्ञापांक—..... 2276 बेगूसराय दिनांक—..... 10.05.21

प्रतिलिपि—प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बरौनी को सूचनार्थ प्रेषित करते हुये निदेश दिया जाता है कि फर्जी प्रमाणपत्र के आरोप में स्थानीय थाने में स्वीटी कुमारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुये थाना कांड संख्या सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित किया जाय साथ ही स्वीटी कुमारी के द्वारा अपने सेवा काल में वेतन मद में प्राप्त राशि की गणना कर वसूली करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि—पुलिस निरीक्षक(निगरानी अन्वेषण ब्यूरो) कैम्प स्थल—बी०पी०+2 उच्च विद्यालय बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि—जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।

प्रतिलिपि—जिला पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।



(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय



कार्यालय—जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय

(स्थापना शाखा)

पत्रांक—.....

प्रेषक

सुमन शर्मा
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

सेवा में

पंचायत सचिव—सह—सचिव
पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, ग्राम पंचायत राज—फुलवड़िया 03
प्रखंड—तेघड़ा

बेगूसराय दिनांक—.....

विषय— सुनीता कुमारी, पंचायत शिक्षिका, प्रा०वि० ताराअड्डा फुलवड़िया, प्रखंड—तेघड़ा का नियोजन रद्द करने के संबंध में।

प्रसंग— प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तेघड़ा के पत्रांक—39 दिनांक—16.01.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में सुनीता कुमारी के टी०ई०टी० प्रमाणपत्र के संबंध में निम्नांकित तथ्य अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित किये गये हैं।

“ प्रमाणपत्र सही नहीं पाया गया ”

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तेघड़ा के द्वारा समर्पित उक्त प्रतिवेदन के आलोक में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक—830 दिनांक—26.02.21 के द्वारा सुनीता कुमारी से स्पष्टीकरण पृच्छा की गयी।

सुनीता कुमारी, पंचायत शिक्षिका, प्रा०वि० ताराअड्डा फुलवड़िया, प्रखंड—तेघड़ा के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण समीक्षोपरांत बिहार पंचायत एवं नगर(नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण) नियमावली 2020 की कंडिका—21 उपकंडिका(II) में निहित प्रावधान के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय से प्राप्त आदेशालोक में आपको आदेश दिया जाता है कि फर्जी टी०ई०टी० प्रमाणपत्र के आरोप में सुनीता कुमारी का नियोजन रद्द करते हुये अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायी जाय ताकि जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय को प्रतिवेदित किया जा सके।

विश्वासभाजन

—

(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय


ज्ञापक—..... 2277 बेगूसराय दिनांक—..... 10.05.21.....

प्रतिलिपि—प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तेघड़ा को सूचनार्थ प्रेषित करते हुये निदेश दिया जाता है कि फर्जी प्रमाणपत्र के आरोप में स्थानीय थाने में सुनीता कुमारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुये थाना कांड संख्या सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित किया जाय साथ ही सुनीता कुमारी के द्वारा अपने सेवा काल में वेतन मद में प्राप्त राशि की गणना कर वसूली करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि—पुलिस निरीक्षक(निगरानी अन्वेषण ब्यूरो) कैम्प स्थल—बी०पी०+2 उच्च विद्यालय बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि—जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।

प्रतिलिपि—जिला पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।



(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

१५/५/२१

कार्यालय—जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय

(स्थापना शाखा)

पत्रांक—.....

प्रेषक

सुमन शर्मा
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

सेवा में

पंचायत सचिव—सह—सचिव
पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, ग्राम पंचायत राज—फुलवड़िया 03
प्रखंड—तेघड़ा

बेगूसराय दिनांक—.....

विषय— सावन कुमार, पंचायत शिक्षक, प्रा0वि0 बख्तरस्थान, फुलवड़िया—03, प्रखंड—तेघड़ा का नियोजन रद्द करने के संबंध में।

प्रसंग— प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तेघड़ा के पत्रांक—39 दिनांक—16.01.2021

महाशय,
उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में सावन कुमार के टी0ई0टी0 प्रमाणपत्र के संबंध में निम्नांकित तथ्य अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित किये गये हैं।

“ प्रमाणपत्र सही नहीं पाया गया ”

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तेघड़ा के द्वारा समर्पित उक्त प्रतिवेदन के आलोक में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक—831 दिनांक—26.02.21 के द्वारा सावन कुमार से स्पष्टीकरण पृच्छा की गयी।

सावन कुमार, पंचायत शिक्षक, प्रा0वि0 बख्तरस्थान, फुलवड़िया—03, प्रखंड—तेघड़ा के द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किये जाने के फलस्वरूप बिहार पंचायत एवं नगर(नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण) नियमावली 2020 की कंडिका—21 उपकंडिका(II) में निहित प्रावधान के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय से प्राप्त आदेशालोक में आपको आदेश दिया जाता है कि फर्जी टी0ई0टी0 प्रमाणपत्र के आरोप में सावन कुमार का नियोजन रद्द करते हुये अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायी जाय ताकि जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय को प्रतिवेदित किया जा सके।

विश्वासभाजन

(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

ज्ञापांक—..... 2278 बेगूसराय दिनांक—..... 10.05.21
प्रतिलिपि—प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तेघड़ा को सूचनार्थ प्रेषित करते हुये निदेश दिया जाता है कि फर्जी प्रमाणपत्र के आरोप में स्थानीय थाने में सावन कुमार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुये थाना कांड संख्या सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित किया जाय साथ ही सावन कुमार के द्वारा अपने सेवा काल में वेतन मद में प्राप्त राशि की गणना कर वसूली करना सुनिश्चित करें।
प्रतिलिपि—पुलिस निरीक्षक(निगरानी अन्वेषण ब्यूरो) कैम्प स्थल—बी0पी0+2 उच्च विद्यालय बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि—जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।
प्रतिलिपि—जिला पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।

(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

20/5/21

कार्यालय—जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय

(स्थापना शाखा)

पत्रांक—..... /

प्रेषक

सुमन शर्मा
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

सेवा में

पंचायत सचिव—सह—सचिव
पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, ग्राम पंचायत राज—किरतपुर
प्रखंड—भगवानपुर

बेगूसराय दिनांक—.....

विषय—शबीना रहमानी, पंचायत शिक्षिका, न० प्रा० वि० चक्का ईशापुर, प्रखंड—भगवानपुर का नियोजन रद्द करने के संबंध में।

प्रसंग—प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भगवानपुर के पत्रांक—28 दिनांक—08.01.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में शबीना रहमानी के टी०ई०टी० प्रमाणपत्र के संबंध में निम्नांकित तथ्य अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित किये गये हैं।

“ उपलब्ध कराये गये सी०डी० में अभ्यर्थी रौल नंबर खोजने पर अनुतीर्ण है ”

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भगवानपुर के द्वारा समर्पित उक्त प्रतिवेदन के आलोक में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक—218 दिनांक—19.01.2021 के द्वारा शबीना रहमानी से स्पष्टीकरण पृच्छा की गयी।

शबीना रहमानी, पंचायत शिक्षिका, न० प्रा० वि० चक्का ईशापुर के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण समीक्षोपरांत बिहार पंचायत एवं नगर (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण) नियमावली 2020 की कंडिका—21 उपकंडिका (II) में निहित प्रावधान के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय से प्राप्त आदेशालोक में आपको आदेश दिया जाता है कि फर्जी टी०ई०टी० प्रमाणपत्र के आरोप में शबीना रहमानी का नियोजन रद्द करते हुये अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायी जाय ताकि जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय को प्रतिवेदित किया जा सके।

विश्वासभाजन

30-

(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

ज्ञापांक—..... 2279 बेगूसराय दिनांक—..... 10.05.21

प्रतिलिपि—प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भगवानपुर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुये निदेश दिया जाता है कि फर्जी प्रमाणपत्र के आरोप में स्थानीय थाने में शबीना रहमानी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुये थाना कांड संख्या सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित किया जाय साथ ही शबीना रहमानी के द्वारा अपने सेवा काल में वेतन मद में प्राप्त राशि की गणना कर वसूली करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि—पुलिस निरीक्षक (निगरानी अन्वेषण ब्यूरो) कैम्प स्थल—बी०पी०+उच्च विद्यालय बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।

प्रतिलिपि—जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।

प्रतिलिपि—जिला पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।

30/5/21

(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

30/5/21

कार्यालय—जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय

(स्थापना शाखा)

पत्रांक—.....

प्रेषक

सुमन शर्मा
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

सेवा में

पंचायत सचिव—सह—सचिव
पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, ग्राम पंचायत राज—पबड़ा
प्रखंड—चेरियाबरियारपुर

बेगूसराय दिनांक—.....

विषय—मुन्नी कुमारी, पंचायत शिक्षिका, प्रा०वि० पबड़ाघाट पबड़ा, प्रखंड—चेरियाबरियारपुर का नियोजन रद्द करने के संबंध में।

प्रसंग—प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चेरियाबरियारपुर के पत्रांक— 391 दिनांक—10.09.20

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में मुन्नी कुमारी के टी०ई०टी० प्रमाणपत्र के संबंध में निम्नांकित तथ्य अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित किये गये हैं—

“ विभागीय सी०डी० में 36 नंबर अंकित है तथा नोट क्वालीफाईड अंकित है जबकि रिजल्ट कार्ड में 100 नंबर अंकित है। ”

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चेरियाबरियारपुर के द्वारा समर्पित उक्त प्रतिवेदन के आलोक में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक—2683 दिनांक—11.11.20 एवं कार्यालय पत्रांक—34 दिनांक—06.01.2021 के द्वारा मुन्नी कुमारी से स्पष्टीकरण पृच्छा की गयी।

मुन्नी कुमारी, पंचायत शिक्षिका, प्रा०वि० पबड़ाघाट पबड़ा, प्रखंड—चेरियाबरियारपुर के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण समीक्षोपरांत बिहार पंचायत एवं नगर(नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण) नियमावली 2020 की कंडिका—21 उपकंडिका(II) में निहित प्रावधान के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय से प्राप्त आदेशालोक में आपको आदेश दिया जाता है कि फर्जी टी०ई०टी० प्रमाणपत्र के आरोप में मुन्नी कुमारी का नियोजन रद्द करते हुये अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायी जाय ताकि जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय को प्रतिवेदित किया जा सके।

विश्वासभाजन

—

(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

ज्ञापक—..... 2280 बेगूसराय दिनांक—..... 10.05.21.....

प्रतिलिपि—प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चेरियाबरियारपुर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुये निदेश दिया जाता है कि फर्जी प्रमाणपत्र के आरोप में स्थानीय थाने में मुन्नी कुमारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुये थाना कांड संख्या सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित किया जाय साथ ही मुन्नी कुमारी के द्वारा अपने सेवा काल में वेतन मद में प्राप्त राशि की गणना कर वसूली करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि—पुलिस निरीक्षक(निगरानी अन्वेषण ब्यूरो) कैम्प स्थल—बी०पी०+उच्च विद्यालय बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।

प्रतिलिपि—जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।

प्रतिलिपि—जिला पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।

—

(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

कार्यालय—जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय

(स्थापना शाखा)

पत्रांक—.....

प्रेषक

सुमन शर्मा
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

सेवा में

पंचायत सचिव—सह—सचिव
पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, ग्राम पंचायत राज—गोपालपुर
प्रखंड—चेरियाबरियारपुर

बेगूसराय दिनांक—.....

विषय— निशा कुमारी, पंचायत शिक्षिका, प्रा0वि0 वार्ड नं0-05 हरिजन आवाम मल्लाह टोला, गोपालपुर
प्रखंड—चेरियाबरियारपुर का नियोजन रद्द करने के संबंध में।

प्रसंग— प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चेरियाबरियारपुर के पत्रांक—391 दिनांक—10.09.21
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में निशा कुमारी के टी0ई0टी0
प्रमाणपत्र के संबंध में निम्नांकित तथ्य अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित किये गये हैं।

“ कार्यालय में जमा किए गये रिजल्ट कार्ड में 85 नंबर अंकित है जबकि विभागीय सी0डी0
में 64 नंबर अंकित है। ”

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चेरियाबरियारपुर के द्वारा समर्पित उक्त प्रतिवेदन के आलोक में अधोहस्ताक्षरी
कार्यालय पत्रांक—2690 दिनांक—11.11.20 एवं कार्यालय पत्रांक—27 दिनांक—05.01.2021 के द्वारा निशा
कुमारी से स्पष्टीकरण पृच्छा की गयी।

निशा कुमारी, पंचायत शिक्षिका, प्रा0वि0 वार्ड नं0-05 हरिजन आवाम मल्लाह
टोला, गोपालपुर, प्रखंड—चेरियाबरियारपुर के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण समीक्षोपरांत बिहार पंचायत एवं
नगर(नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण) नियमावली 2020 की कंडिका—21 उपकंडिका(II) में निहित प्रावधान के
आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय से प्राप्त आदेशालोक में आपको आदेश दिया जाता है कि
फर्जी टी0ई0टी0 प्रमाणपत्र के आरोप में निशा कुमारी का नियोजन रद्द करते हुये अधोहस्ताक्षरी को अवगत
करायी जाय ताकि जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय को प्रतिवेदित किया जा सके।

विश्वासभाजन



(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

ज्ञापांक—..... 2281 बेगूसराय दिनांक—..... 10.05.21


प्रतिलिपि—प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चेरियाबरियारपुर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुये निदेश दिया जाता है कि
फर्जी प्रमाणपत्र के आरोप में स्थानीय थाने में निशा कुमारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुये थाना कांड
संख्या सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित किया जाय साथ ही निशा कुमारी के
द्वारा अपने सेवा काल में वेतन मद में प्राप्त राशि की गणना कर वसूली करना सुनिश्चित करें।
प्रतिलिपि—पुलिस निरीक्षक(निगरानी अन्वेषण ब्युरो) कैम्प स्थल—बी0पी0+उच्च विद्यालय बेगूसराय की सेवा में
सूचनार्थ सादर समर्पित।

प्रतिलिपि—जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।

प्रतिलिपि—जिला पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।

(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

स्थापना, बेगूसराय


कार्यालय-जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय

(स्थापना शाखा)

पत्रांक-.....

प्रेषक

सुमन शर्मा
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

सेवा में

पंचायत सचिव-सह-सचिव
पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, ग्राम पंचायत राज-पबड़ा
प्रखंड-चेरियाबरियारपुर

बेगूसराय दिनांक-.....

विषय- अर्चना कुमारी, पंचायत शिक्षिका, प्रा० वि० मोची टोल पबड़ा प्रखंड-चेरियाबरियारपुर का नियोजन रद्द करने के संबंध में।

प्रसंग-प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चेरियाबरियारपुर के पत्रांक-391 दिनांक-10.09.21

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में अर्चना कुमारी के टी०ई०टी० प्रमाणपत्र के संबंध में निम्नांकित तथ्य अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित किये गये हैं।

“ विभागीय सी०डी० में रोल नंबर-0506117038 नहीं है साथ ही रिजल्ट कार्ड नं०-010415 किसी दूसरे के नाम से अंकित है। ”

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चेरियाबरियारपुर के द्वारा समर्पित उक्त प्रतिवेदन के आलोक में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक-2684 दिनांक-11.11.20 एवं कार्यालय पत्रांक-33 दिनांक-06.01.2021 के द्वारा अर्चना कुमारी से स्पष्टीकरण पृच्छा की गयी।

अर्चना कुमारी, पंचायत शिक्षिका, प्रा० वि० मोची टोल पबड़ा प्रखंड-चेरियाबरियारपुर के द्वारा समर्पित 'स्पष्टीकरण समीक्षोपरांत बिहार पंचायत एवं नगर(नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण) नियमावली 2020 की कंडिका-21 उपकंडिका(II) में निहित प्रावधान के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय से प्राप्त आदेशालोक में आपको आदेश दिया जाता है कि फर्जी टी०ई०टी० प्रमाणपत्र के आरोप में निशा कुमारी का नियोजन रद्द करते हुये अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायी जाय ताकि जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय को प्रतिवेदित किया जा सके।

विश्वासभाजन

5-

(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

ज्ञापांक-..... 2282 बेगूसराय दिनांक-..... 10.05.21

प्रतिलिपि-प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चेरियाबरियारपुर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुये निदेश दिया जाता है कि फर्जी प्रमाणपत्र के आरोप में स्थानीय थाने में अर्चना कुमारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुये थाना कांड संख्या सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित किया जाय साथ ही अर्चना कुमारी के द्वारा अपने सेवा काल में वेतन मद में प्राप्त राशि की गणना कर वसूली करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि-पुलिस निरीक्षक(निगरानी अन्वेषण ब्युरो) कैम्प स्थल-बी०पी०+उच्च विद्यालय बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।

प्रतिलिपि-जिला पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।

सुमन शर्मा

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

22/05/21

कार्यालय—जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय

(स्थापना शाखा)

पत्रांक—.....

प्रेषक

सुमन शर्मा
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

सेवा में

पंचायत सचिव—सह—सचिव
पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, ग्राम पंचायत राज—पबड़ा
प्रखंड—चेरियाबरियारपुर

बेगूसराय दिनांक—.....

विषय— कमलसेन सिंह, पंचायत शिक्षक, प्रा० वि० मुशहरी पबड़ा प्रखंड—चेरियाबरियारपुर का नियोजन रद्द करने के संबंध में।

प्रसंग— प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चेरियाबरियारपुर के पत्रांक—391 दिनांक—10.09.20

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में कमलसेन सिंह के टी०ई०टी० प्रमाणपत्र के संबंध में निम्नांकित तथ्य अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित किये गये हैं।

“ विभागीय सी०डी० में प्रथम पेपर में 55 नंबर जबकि द्वितीय पेपर में 68 नंबर अंकित है जबकि नियोजन हेतु जमा किये गये रिजल्ट कार्ड में मात्र 55 नंबर अंकित है। ”

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चेरियाबरियारपुर के द्वारा समर्पित उक्त प्रतिवेदन के आलोक में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक—2685 दिनांक—11.11.20 एवं कार्यालय पत्रांक—29 दिनांक—05.01.2021 के द्वारा कमलसेन सिंह से स्पष्टीकरण पृच्छा की गयी।

कमलसेन सिंह, पंचायत शिक्षक, प्रा० वि० मुशहरी पबड़ा प्रखंड—चेरियाबरियारपुर के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण समीक्षोपरांत बिहार पंचायत एवं नगर(नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण) नियमावली 2020 की कंडिका—21 उपकंडिका(II) में निहित प्रावधान के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय से प्राप्त आदेशालोक में आपको आदेश दिया जाता है कि फर्जी टी०ई०टी० प्रमाणपत्र के आरोप में कमलसेन सिंह का नियोजन रद्द करते हुये अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायी जाय ताकि जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय को प्रतिवेदित किया जा सके।

विश्वासभाजन



(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

ज्ञापक—..... 2283 बेगूसराय दिनांक—..... 10.05.21

प्रतिलिपि—प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चेरियाबरियारपुर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुये निदेश दिया जाता है कि फर्जी प्रमाणपत्र के आरोप में स्थानीय थाने में कमलसेन सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुये थाना कांड संख्या सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित किया जाय साथ ही कमलसेन सिंह के द्वारा अपने सेवा काल में वेतन मद में प्राप्त राशि की गणना कर वसूली करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि—पुलिस निरीक्षक(निगरानी अन्वेषण ब्यूरो) कैम्प स्थल—बी०पी०+उच्च विद्यालय बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि—जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।

प्रतिलिपि—जिला पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।



(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय



कार्यालय-जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय

(स्थापना शाखा)

पत्रांक-.....

प्रेषक

सुमन शर्मा
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

सेवा में

पंचायत सचिव-सह-सचिव
पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, ग्राम पंचायत राज-पबड़ा
प्रखंड-चेरियाबरियारपुर

बेगूसराय दिनांक-.....

विषय- रंजीत पासवान, पंचायत शिक्षक, प्रा० वि० पबड़ाघाट पबड़ा प्रखंड-चेरियाबरियारपुर का नियोजन रद्द करने के संबंध में।

प्रसंग- प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चेरियाबरियारपुर के पत्रांक-391 दिनांक-10.09.20

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में रंजीत पासवान के टी०ई०टी० प्रमाणपत्र के संबंध में निम्नांकित तथ्य अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित किये गये हैं।

“ विभागीय सी०डी० में 66 नंबर अंकित है तथा नोट क्वालीफाईड अंकित है जबकि जमा किये गये रिजल्ट कार्ड में 91 नंबर अंकित है। ”

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चेरियाबरियारपुर के द्वारा समर्पित उक्त प्रतिवेदन के आलोक में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक-2682 दिनांक-11.11.20 एवं कार्यालय पत्रांक-35 दिनांक-06.01.2021 के द्वारा रंजीत पासवान से स्पष्टीकरण पृच्छा की गयी।

रंजीत पासवान, पंचायत शिक्षक, प्रा० वि० पबड़ाघाट पबड़ा प्रखंड-चेरियाबरियारपुर के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण समीक्षोपरांत बिहार पंचायत एवं नगर(नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण) नियमावली 2020 की कंडिका-21 उपकंडिका(II) में निहित प्रावधान के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय से प्राप्त आदेशालोक में आपको आदेश दिया जाता है कि फर्जी टी०ई०टी० प्रमाणपत्र के आरोप में रंजीत पासवान का नियोजन रद्द करते हुये अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायी जाय ताकि जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय को प्रतिवेदित किया जा सके।

विश्वासभाजन

50 -

(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

ज्ञापांक-..... 2284 बेगूसराय दिनांक-..... 10.05.21

प्रतिलिपि-प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चेरियाबरियारपुर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुये निदेश दिया जाता है कि फर्जी प्रमाणपत्र के आरोप में स्थानीय थाने में रंजीत पासवान के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुये थाना कांड संख्या सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित किया जाय साथ ही रंजीत पासवान के द्वारा अपने सेवा काल में वेतन मद में प्राप्त राशि की गणना कर वसूली करना सुनिश्चित करें।
प्रतिलिपि-पुलिस निरीक्षक(निगरानी अन्वेषण ब्यूरो) कैम्प स्थल-बी०पी०+उच्च विद्यालय बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।

प्रतिलिपि-जिला पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।

सुमन शर्मा

(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

कवयान

कार्यालय-जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय

(स्थापना शाखा)

पत्रांक-.....

प्रेषक

सुमन शर्मा
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

सेवा में

पंचायत सचिव-सह-सचिव
पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, ग्राम पंचायत राज-फुलवड़िया-01
प्रखंड-तेघड़ा

बेगूसराय दिनांक-.....

विषय- मधु कुमारी, पंचायत शिक्षिका, प्रा0वि0 हनुमानस्थान कैरीबाड़ी प्रखंड-तेघड़ा का नियोजन रद्द करने के संबंध में।

प्रसंग- प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तेघड़ा के पत्रांक-25 दिनांक-08.01.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में मधु कुमारी के टी0ई0टी0 प्रमाणपत्र के संबंध में निम्नांकित तथ्य अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित किये गये हैं।

“ नाम एवं पिता का नाम नहीं मिला ”

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तेघड़ा के द्वारा समर्पित उक्त प्रतिवेदन के आलोक में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक-238 दिनांक-19.01.2021 के द्वारा मधु कुमारी से स्पष्टीकरण पृच्छा की गयी।

मधु कुमारी, पंचायत शिक्षिका, प्रा0वि0 हनुमानस्थान कैरीबाड़ी प्रखंड-तेघड़ा के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण समीक्षोपरांत बिहार पंचायत एवं नगर(नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण) नियमावली 2020 की कंडिका-21 उपकंडिका(II) में निहित प्रावधान के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय से प्राप्त आदेशालोक में आपको आदेश दिया जाता है कि फर्जी टी0ई0टी0 प्रमाणपत्र के आरोप में मधु कुमारी का नियोजन रद्द करते हुये अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायी जाय ताकि जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय को प्रतिवेदित किया जा सके।

विश्वासभाजन

६० -

(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

ज्ञापांक-..... 2285 बेगूसराय दिनांक-..... 10.05.21

प्रतिलिपि-प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तेघड़ा को सूचनार्थ प्रेषित करते हुये निदेश दिया जाता है कि फर्जी प्रमाणपत्र के आरोप में स्थानीय थाने में मधु कुमारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुये थाना कांड संख्या सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित किया जाय साथ ही मधु कुमारी के द्वारा अपने सेवा काल में वेतन मद में प्राप्त राशि की गणना कर वसूली करना सुनिश्चित करें।
प्रतिलिपि-पुलिस निरीक्षक(निगरानी अन्वेषण ब्यूरो) कैम्प स्थल-बी0पी0+उच्च विद्यालय बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।

प्रतिलिपि-जिला पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।



(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

६
१०/५/२१

कार्यालय—जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय

(स्थापना शाखा)

पत्रांक—.....

प्रेषक

सुमन शर्मा
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

सेवा में

पंचायत सचिव—सह—सचिव
पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, ग्राम पंचायत राज—मेहदौली
प्रखंड—भगवानपुर

बेगूसराय दिनांक—.....

विषय— आरती कुमारी, पंचायत शिक्षिका, नव0प्रा0वि0 लालूनगर मेहदौली, प्रखंड—भगवानपुर का नियोजन रद्द करने के संबंध में।

प्रसंग— प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भगवानपुर के पत्रांक—28 दिनांक—08.01.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरती कुमारी के टी0ई0टी0 प्रमाणपत्र के संबंध में निम्नांकित तथ्य अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित किये गये हैं।

“ उपलब्ध कराये गये सी0डी0 में अभ्यर्थी का रोल नं0 से खोजने पर अनुतीर्ण है। ”

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भगवानपुर के द्वारा समर्पित उक्त प्रतिवेदन के आलोक में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक—217 दिनांक—19.01.2021 के द्वारा आरती कुमारी से स्पष्टीकरण पृच्छा की गयी।

आरती कुमारी, पंचायत शिक्षिका, नव0प्रा0वि0 लालूनगर मेहदौली, प्रखंड—भगवानपुर के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण समीक्षोपरांत बिहार पंचायत एवं नगर(नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण) नियमावली 2020 की कंडिका—21 उपकंडिका(II) में निहित प्रावधान के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय से प्राप्त आदेशालोक में आपको आदेश दिया जाता है कि फर्जी टी0ई0टी0 प्रमाणपत्र के आरोप में आरती कुमारी का नियोजन रद्द करते हुये अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायी जाय ताकि जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय को प्रतिवेदित किया जा सके।

विश्वासभाजन



(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

ज्ञापांक—..... 2286 बेगूसराय दिनांक—..... 10.05.21

प्रतिलिपि—प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भगवानपुर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुये निदेश दिया जाता है कि फर्जी प्रमाणपत्र के आरोप में स्थानीय थाने में आरती कुमारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुये थाना कांड संख्या सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित किया जाय साथ ही आरती कुमारी के द्वारा अपने सेवा काल में वेतन मद में प्राप्त राशि की गणना कर वसूली करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि—पुलिस निरीक्षक(निगरानी अन्वेषण ब्यूरो) कैम्प स्थल—बी0पी0+उच्च विद्यालय बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि—जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।

प्रतिलिपि—जिला पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।



(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय



कार्यालय-जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय

(स्थापना शाखा)

पत्रांक-.....

प्रेषक

सुमन शर्मा
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

सेवा में

पंचायत सचिव-सह-सचिव
पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, ग्राम पंचायत राज-फुलवड़िया-03
प्रखंड-तेघड़ा

बेगूसराय दिनांक-.....

विषय- जितेन्द्र कुमार, पंचायत शिक्षक, प्रा0वि0 गाछीटोला, फुलवड़िया, प्रखंड-तेघड़ा का नियोजन रद्द करने के संबंध में।

प्रसंग- प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तेघड़ा के पत्रांक-25 दिनांक-08.01.2021
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में जितेन्द्र कुमार के टी0ई0टी0 प्रमाणपत्र के संबंध में निम्नांकित तथ्य अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित किये गये हैं।

“ नाम एवं पिता का नाम नहीं मिला ”

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तेघड़ा के द्वारा समर्पित उक्त प्रतिवेदन के आलोक में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक-236 दिनांक-19.01.2021 के द्वारा जितेन्द्र कुमार से स्पष्टीकरण पृच्छा की गयी।

जितेन्द्र कुमार, पंचायत शिक्षक, प्रा0वि0 गाछीटोला, फुलवड़िया, प्रखंड-तेघड़ा के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण समीक्षोपरांत बिहार पंचायत एवं नगर(नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण) नियमावली 2020 की कंडिका-21 उपकंडिका(II) में निहित प्रावधान के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय से प्राप्त आदेशालोक में आपको आदेश दिया जाता है कि फर्जी टी0ई0टी0 प्रमाणपत्र के आरोप में जितेन्द्र कुमार का नियोजन रद्द करते हुये अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायी जाय ताकि जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय को प्रतिवेदित किया जा सके।

विश्वासभाजन



(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

ज्ञापांक-.....2287.....बेगूसराय दिनांक-.....10.05.21.....

प्रतिलिपि-प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तेघड़ा को सूचनार्थ प्रेषित करते हुये निदेश दिया जाता है कि फर्जी प्रमाणपत्र के आरोप में स्थानीय थाने में जितेन्द्र कुमार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुये थाना कांड संख्या सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित किया जाय साथ ही जितेन्द्र कुमार के द्वारा अपने सेवा काल में वेतन मद में प्राप्त राशि की गणना कर वसूली करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि-पुलिस निरीक्षक(निगरानी अन्वेषण ब्यूरो) कैम्प स्थल-बी0पी0+उच्च विद्यालय बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि-जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।

प्रतिलिपि-जिला पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।



(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय



कार्यालय—जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय

(स्थापना शाखा)

पत्रांक—.....

प्रेषक

सुमन शर्मा
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

सेवा में

पंचायत सचिव—सह—सचिव
पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, ग्राम पंचायत राज—फुलवड़िया—01
प्रखंड—तेघड़ा

बेगूसराय दिनांक—.....

विषय— निशा देवी, पंचायत शिक्षिका, प्रा0वि0 जरासंधटोला फुलवड़िया—01, प्रखंड—तेघड़ा का नियोजन रद्द करने के संबंध में।

प्रसंग— प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तेघड़ा के पत्रांक—25 दिनांक—08.01.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में निशा देवी, के टी0ई0टी0 प्रमाणपत्र के संबंध में निम्नांकित तथ्य अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित किये गये हैं।

“ नाम एवं पिता का नाम नहीं मिला ”

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तेघड़ा के द्वारा समर्पित उक्त प्रतिवेदन के आलोक में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक—245 दिनांक—19.01.2021 के द्वारा निशा देवी से स्पष्टीकरण पृच्छा की गयी।

निशा देवी, पंचायत शिक्षिका, प्रा0वि0 जरासंधटोला फुलवड़िया—01, प्रखंड—तेघड़ा के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण समीक्षोपरांत बिहार पंचायत एवं नगर(नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण) नियमावली 2020 की कंडिका—21 उपकंडिका(II) में निहित प्रावधान के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय से प्राप्त आदेशालोक में आपको आदेश दिया जाता है कि फर्जी टी0ई0टी0 प्रमाणपत्र के आरोप में निशा देवी, का नियोजन रद्द करते हुये अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायी जाय ताकि जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय को प्रतिवेदित किया जा सके।

विश्वासभाजन

६०—

(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

स्थापना, बेगूसराय

ज्ञापांक— 2288 बेगूसराय दिनांक— 10.05.21

प्रतिलिपि—प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तेघड़ा को सूचनार्थ प्रेषित करते हुये निदेश दिया जाता है कि फर्जी प्रमाणपत्र के आरोप में स्थानीय थाने में निशा देवी, के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुये थाना कांड संख्या सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित किया जाय साथ ही निशा देवी, के द्वारा अपने सेवा काल में वेतन मद में प्राप्त राशि की गणना कर वसूली करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि—पुलिस निरीक्षक(निगरानी अन्वेषण ब्युरो) कैम्प स्थल—बी0पी0+उच्च विद्यालय बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि—जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।

प्रतिलिपि—जिला पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।

६०—

(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

स्थापना, बेगूसराय

कार्यालय-जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय

(स्थापना शाखा)

पत्रांक-.....

प्रेषक

सुमन शर्मा
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

सेवा में

पंचायत सचिव-सह-सचिव
पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, ग्राम पंचायत राज-फुलवड़िया-03
प्रखंड-तेघड़ा

बेगूसराय दिनांक-.....

विषय- बेबी कुमारी, पंचायत शिक्षिका, प्रा0वि0 गाछीटोला, फुलवड़िया-03 प्रखंड-तेघड़ा का नियोजन रद्द करने के संबंध में।

प्रसंग- प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तेघड़ा के पत्रांक-25 दिनांक-08.01.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में बेबी कुमारी, के टी0ई0टी0 प्रमाणपत्र के संबंध में निम्नांकित तथ्य अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित किये गये हैं।

“ नाम एवं पिता का नाम नहीं मिला ”

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तेघड़ा के द्वारा समर्पित उक्त प्रतिवेदन के आलोक में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक-237 दिनांक-19.01.2021 के द्वारा बेबी कुमारी से स्पष्टीकरण पृच्छा की गयी।

बेबी कुमारी, पंचायत शिक्षिका, प्रा0वि0 गाछीटोला, फुलवड़िया-03 प्रखंड-तेघड़ा के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण समीक्षोपरांत बिहार पंचायत एवं नगर(नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण) नियमावली 2020 की कंडिका-21 उपकंडिका(II) में निहित प्रावधान के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय से प्राप्त आदेशालोक में आपको आदेश दिया जाता है कि फर्जी टी0ई0टी0 प्रमाणपत्र के आरोप में बेबी कुमारी का नियोजन रद्द करते हुये अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायी जाय ताकि जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय को प्रतिवेदित किया जा सके।

विश्वासभाजन

६०-

(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

ज्ञापांक-..... 2289 बेगूसराय दिनांक-..... 10.05.21

प्रतिलिपि-प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तेघड़ा को सूचनार्थ प्रेषित करते हुये निदेश दिया जाता है कि फर्जी प्रमाणपत्र के आरोप में स्थानीय थाने में बेबी कुमारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुये थाना कांड संख्या सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित किया जाय साथ ही बेबी कुमारी के द्वारा अपने सेवा काल में वेतन मद में प्राप्त राशि की गणना कर वसूली करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि-पुलिस निरीक्षक(निगरानी अन्वेषण ब्यूरो) कैम्प स्थल-बी0पी0+उच्च विद्यालय बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।

प्रतिलिपि-जिला पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।



(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय



कार्यालय-जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय

(स्थापना शाखा)

पत्रांक-.....

प्रेषक

सुमन शर्मा
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

सेवा में

पंचायत सचिव-सह-सचिव
पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, ग्राम पंचायत राज-शोकहरा-02
प्रखंड-तेघड़ा

बेगूसराय दिनांक-.....

विषय- नेहा कुमारी, पंचायत शिक्षिका, महासुन्दरी नेपाली चौधरी प्रा0वि0 शोकहरा, प्रखंड-तेघड़ा का नियोजन रद्द करने के संबंध में।

प्रसंग- प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तेघड़ा के पत्रांक-25 दिनांक-08.01.2021
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में नेहा कुमारी, के टी0ई0टी0 प्रमाणपत्र के संबंध में निम्नांकित तथ्य अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित किये गये हैं।

“ नाम एवं पिता का नाम नही मिला ”

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तेघड़ा के द्वारा समर्पित उक्त प्रतिवेदन के आलोक में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक-256 दिनांक-19.01.2021 के द्वारा नेहा कुमारी से स्पष्टीकरण पृच्छा की गयी।

नेहा कुमारी, पंचायत शिक्षिका, महासुन्दरी नेपाली चौधरी प्रा0वि0 शोकहरा, प्रखंड-तेघड़ा के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण समीक्षोपरांत बिहार पंचायत एवं नगर(नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण) नियमावली 2020 की कंडिका-21 उपकंडिका(II) में निहित प्रावधान के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय से प्राप्त आदेशालोक में आपको आदेश दिया जाता है कि फर्जी टी0ई0टी0 प्रमाणपत्र के आरोप में नेहा कुमारी, का नियोजन रद्द करते हुये अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायी जाय ताकि जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय को प्रतिवेदित किया जा सके।

विश्वासभाजन



(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

ज्ञापांक-..... 2290 बेगूसराय दिनांक-..... 10.05.21

प्रतिलिपि-प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तेघड़ा को सूचनार्थ प्रेषित करते हुये निदेश दिया जाता है कि फर्जी प्रमाणपत्र के आरोप में स्थानीय थाने में नेहा कुमारी, के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुये थाना कांड संख्या सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित किया जाय साथ ही नेहा कुमारी, के द्वारा अपने सेवा काल में वेतन मद में प्राप्त राशि की गणना कर वसूली करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि-पुलिस निरीक्षक(निगरानी अन्वेषण ब्युरो) कैम्प स्थल-बी0पी0+उच्च विद्यालय बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।

प्रतिलिपि-जिला पदाधिकारी बेगूसराय की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।



(सुमन शर्मा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, बेगूसराय

